

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 112 OF 2024

IN THE MATTER OF:

CHAUDHARY YASHWANT SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS

.....RESPONDENT(S)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 21.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE ORDER DT. 16.07.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-1	
3.	COPY OF THE ORDER DT. 16.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-2.	

THROUGH COUNSEL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bhanwar Pal Singh Jadon', written over a horizontal line.

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 26.05.2025

PLACE: NOIDA



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 112 OF 2024

IN THE MATTER OF:

CHAUDHARY YASHWANT SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS

.....RESPONDENT(S)

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 IN COMPLIANCE
OF THE ORDER DT. 21.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Arvind Raj Misra, aged about 60 years S/o Sate Prateb Narayan Misra
presently posted as D.F.O. Mirzapur, do hereby
solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am the Deponent in the above captioned matter and am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

26 MAY 2025



2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That in the present matter, the grievance of the applicant is that the Project Proponent, Respondent no. 1 in collusion with the Uttar Pradesh State Highway Authority and other concerned officers of the State have illegally constructed/ operating toll tax plaza (toll free collection booth/hot-mix plant) at Village Belkhara, Pargana-Ahraura, Teshil Chunar, District Mirzapur on Araji No. 291 Mi in area of 15 Bigha which has been declared as Forest Land.

II. NOTIFICATION UNDER INDIAN FOREST ACT, 1927


4. That Arazi No. 827 Mi., area 305 Bigha 11 Biswa, located in Village Belkhara, Tehsil Chunar, District Mirzapur, was notified as **Reserved Forest** under **Section 20 of the Indian Forest Act, 1927** vide Notification dt. 14.01.1984.

26 MAY 2025

III. ENCROACHMENT BY A. C. P. TOLLWAYS

5. That during the consolidation (chakbandi) proceedings, the aforementioned land was converted to new Arazi No. 291. That it

प्रभागीय न्यायाधिकारी
मीरजापुर - वन विभाग
मीरजापुर



pertinent to mention here that the **7.79 hectares of the said reserved forest land** was illegally occupied by **A.C.P. Tollways** in Village Belkhara, Tehsil Chunar.

IV. CIVIL SUITS FILED BY THE SHRIMATI SARASWATI DEVI

6. During the above consolidation process, various cases relating to the said land have come to light. That the present Plot No. 291, which was formed from the notified Arazi No. 827, was fraudulently manipulated by Saraswati Devi during the consolidation process. She colluded with others and instituted various Miscellaneous Civil Suits before the lower courts. That without giving the Forest Department any opportunity of hearing, the name of Saraswati Devi was fraudulently recorded in the revenue records (*Refer @ Page No. 169 of the Judicial Record for the details of the Civil Suits*).



That it is relevant to mention here that against the order passed in the Original Suit No. 306/ 1987, Saraswati Devi filed Writ Petition No. 19144/2004 *Saraswati Devi vs. State & Ors.* before the Hon'ble High Court, Allahabad. That the Hon'ble Allahabad High Court vide order dated 03.03.2014, vacated the earlier interim order and dismissed the writ petition. Subsequently, upon filing a restoration application, the Hon'ble High Court allowed it and directed filing of instructions, which is still

26 MAY 2025


प्रमोदी कर्मचारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

pending consideration. That it is important to note here that the said order was with respect to only the 3.79 hectares of the Arazi No. 291 and not the entire area of 7.79 hectatres. (*Refer @ Pg No. 224 of the Judicial Record*).

8. That a Civil Suit No. 147 of 2017 was filed by the Project Proponent before the Civil Judge (C. D.), Mirzapur against the Regional Forest Officer, Chunar and Ors, seeking rights over the encroached land.
9. That the Civil Judge (CD), Mirzapur vide Judgement dt. 27.02.2020 decided in favour of the Forest Department, rejecting the claims of the Project Proponent. (*Refer @ Pg No. 256 of the Judicial Record*)

V. APPEAL FILED BY THE PROJECT PROPONENT BEFORE THE DISTRICT JUDGE, MIRZAPUR

10. That the Project Proponent has filed Miscellaneous Civil Appeal No. 11 of 2020 before the District Judge, Mirzapur, challenging the lower court's judgement. The District Judge vide order dt. 11.11.2020 stayed the implementation of the Civil Judge's order dated 27.02.2020 and directed the parties to maintain status quo until further orders. That it is relevant to mention that vide the said judgement only 3.794 hectares of



26 MAY 2025

प्रभागीय बन्नाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

the Forest land are under judicial restraint. That the matter is currently sub judice. (Refer @Pg No. 258 of the Judicial Record)

VI. CONSTITUTION OF THE JOINT COMMITTEE

11. That in accordance with the Hon'ble National Green Tribunal's directions, a 4-member committee was constituted under the chairmanship of the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Division, Mirzapur, through Office Order dated 16.02.2024 issued by the Office of the Chief Conservator of Forests, Mirzapur Region, Mirzapur. That the purpose of constituting the said committee was to carry out an investigation and submit a report before this Hon'ble Tribunal.

VII. REPORT OF THE JOINT COMMITTEE

12. That subsequently, an inquiry report was submitted by the Joint Committee. That as per the said report, a total of 7.79 hectares of Reserved Forest Land was found to be encroached. Out of this, the area of 3.79 hectares has been stayed by the order of the Hon'ble District

Judge.

26 MAY 2025

13. That for the remaining 4 hectares of Reserved Forest Land, Case No. H-2/Chunar/2024-25 was registered by the Forest Department. That it is most respectfully submitted that a report on behalf of the Deponent

प्रभागीय वन्यधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

(Refer @Page No. 273) has already been filed before this Hon'ble Tribunal. That the said report clearly states that the illegal construction on 7.79 hectares of reserved forest land has been found and the notice dated 01.04.2024 has been issued against the Project Proponent.

(Refer @ Page No. 265 of the Judicial Record for the Photographs of the said site and the Google Map).

VIII. DELIBERATE DELAY IN PROCEEDINGS BY THE PROJECT PROPONENT

14. That it is pertinent to state that the Project Proponent is misusing the interim stay order granted by the Learned District Judge, Mirzapur, as well as the order of the Hon'ble High Court at Allahabad, to cause unwarranted delay in the proceedings before this Hon'ble Tribunal. A perusal of the judicial record reveals that several miscellaneous applications have been filed *(Refer @ Pg No. 169 of the Judicial Record)* solely with the intent to obstruct and defer the adjudication of the matter. Furthermore, during the course of proceedings before this Hon'ble Tribunal, the Counsel for the Project Proponent has repeatedly failed to appear, thereby deliberately prolonging and lingering on the matter without just cause.

IX. EVICTION ORDER BY DIVISIONAL FOREST OFFICER, MIRZAPUR FOREST DIVISION, MIRZAPUR

प्रधानीय वनसंरक्षकरी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर



14. That based on the recommendation of the Range Forest Officer, Chunar vide letter dated 04.04.2024, eviction proceedings under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 were initiated by the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Division, Mirzapur. Accordingly, Eviction Case No. 4/2024 was registered. *(Refer @ Page No. 277 of the Judicial Record)*

15. That after due hearing, the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Division, Mirzapur passed an eviction order dt. 16.07.2024 against the Project Proponent under the Indian Forest Act, 1927 (U.P. Amendment, 2000). That vide the said order, it has been directed to the Project Proponent to vacate the said land of the forest department within 15 days. A Copy of the order dt. 16.07.2024 has been annexed herewith as

ANNEXURE A-1.



26 MAY 2025

APPEAL BEFORE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS,

MIRZAPUR

16. That the Project Proponent filed an Appeal dt. 23.08.2024 before the Chief Conservator of Forests, Mirzapur Region. That the Chief Conservator of Forests, Mirzapur dismissed the said appeal vide order dt. 16.05.2025. That vide the said order it has been directed to the Project Proponent to vacate the said forest land immediately.

प्रभागीय वन्यधिकारी
मीरजापुर - कन प्रभाग
मीरजापुर

A Copy of the order dt. 16.05.2025 has been annexed herewith as
ANNEXURE A-2.

17. That in light of the above submissions, it is respectfully submitted that necessary steps have been taken in compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal, and appropriate legal action has already been initiated against the encroachment upon the Reserved Forest Land.

18. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

19. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

26 MAY 2025


DEPONENT
प्रभागीय बन्धुविक्री
पीरजापुर - वन प्रभाग
पीरजापुर



VERIFICATION

Verified at Mirzapur on this 26th day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 19 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Oath by Deponent before
Counselled by Advocate Shri...
NAGEENA Advocate/Notary
(Govt of INDIA) Mirzapur (U.P.)

S.P. Dubey
Adv


DEPONENT
मीरजापुर - कान इन्चार्ज
मीरजापुर



26 MAY 2025

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा अन्तर्गत-61बी)
वाद संख्या-04 / 2024

क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज
बनाम्
ए0सी0पी0टोलवेज
ग्राम-बेलखरा, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर

निर्णय

प्रस्तुत वाद मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर अन्तर्गत चुनार रेंज के ग्राम-बेलखरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-20 में विज्ञप्ति संख्या-5924/14-2-20(47)-82, दिनांक 14.01.1984 द्वारा विज्ञापित प्रश्नगत आराजी 827 मि0 305 बीघा 11 बिश्वा आरक्षित वन भूमि घोषित है। चौधरी यशवंत सिंह चौधरी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0संख्या-112/2024 चौधरी यशवंत सिंह बनाम् यूनियन आफ इण्डिया व अन्य योजित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2024 को आदेश पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है

... 5-Respondent No. 6 is directed to file the report reflecting the factual position in respect of location and operation of toll plaza in question especially in reference to the allegation of its setting up in the forest land without permission .

मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा मौके का स्थलीय /अभिलेखीय जाँच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के आधार पर साबिक आराजी संख्या-827 मि0 से बना नया नम्बर 291 में ए0सी0पी0 टोलवेज द्वारा क्षेत्रफल 7.79 हे0 पर अवैध कब्जा पाया गया।

तत्कम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज ने अपने कार्यालय पत्रांक-292/चुनार/ 10केस, दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से मय संलग्नको सहित अवगत कराया गया कि ग्राम-बेलखरा के आराजी संख्या-827 मि0 में ए0सी0पी0 टोलवेज द्वारा 3.79 हे0 के अतिरिक्त लगभग 4 हे0 क्षेत्र में अवैध निर्माण कर कर्मचारी आवास स्टोर आदि का निर्माण करते हुये वन सीमा को भी नष्ट करते हुये अवैध कब्जा कर लिये है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज के संस्तुति के आधार पर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-61बी के तहत दर्ज रजिस्टर होकर वाद संख्या-4/2024 क्षेत्रीय वन

अधिकारी, चुनार बनाम् ए०सी०पी० 635 को वादी प्रतिवादी को नोटिस जारी हुयी और दिनांक 20.04.2024 को सुनवाई हेतु तिथि निश्चित की गयी। प्रतिवादी द्वारा नियत तिथि को प्रतिपक्षीय उपस्थित आये और लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किये। विवरण निम्नवत् है:-

- दिनांक 08.05.2024 को प्रतिपक्षीय उपस्थित आये और लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दिया कि फर्म के नियुक्त अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण जवाब दाखिल नहीं कर सकते।
- दिनांक 13.05.2024 को प्रतिवादी उपस्थित आये और लिखित रूप से अवगत कराया कि अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण जवाबदेही/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है
- दिनांक 22.05.2024 पत्रावली पेश हुयी, वादी प्रतिवादी उपस्थित आये।दोनों पक्षों की उपस्थिति में बहस हेतु अवसर प्रदान किया जाय।
- दिनांक 06.06.2024 को प्रतिवादी के द्वारा बहस हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके स्वीकार करते हुये अन्तिम अवसर प्रदान किया गया।
- दिनांक 11.06.2024 पत्रावली पेश हुयी। वादी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, किन्तु प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा क्षेत्रफल 3.794 हे० वन भूमि के अतिरिक्त वर्तमान में क्षेत्रफल 4.00 हे० पर वन भूमि में किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई वैधानिक कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रस्तुत आपत्ति पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या-01/2020 क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज बनाम् ए०सी०पी० टोलवेज में दिये गये स्पष्टीकरण पर ही बल देते हुये आपत्ति दाखिल की गयी है। जबकि पूर्व में वाद संख्या-01/2020 क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज बनाम् ए०सी०पी० टोलवेज ने अपनी आपत्ति में गा० न्यायालय सिविल जज सिनियर डिविजन, मीरजापुर में दाखिल वाद संख्या-147/2017 ए०सी०पी० टोलवेज बनाम् क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार व 2 अन्य में वाद दाखिला में साबिक न० 827 से बना हाल नम्बर 291, रकबा-3.79 हे० पर दावा दाखिल किया गया है जिसमें न्यायालय श्रीमान् सिविल जज सिनियर डिविजन मीरजापुर दिनांक 27.02.2020 को सुनवाई करते हुये पूर्व में पारित स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र 27ग निष्प्रभावी मानते हुये निरस्त कर दिया गया। निरस्त होने के बाद क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज की संस्तुति के उपरान्त ही कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज के स्थलीय/अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-61बी के तहत वाद दर्ज रजिस्टर कर वाद संख्या-01/2020 क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज बनाम् ए०सी०पी० टोलवेज जारी हुआ। जिसकी चुनौती ए०सी०पी० टोलवेज द्वारा जनपद न्यायाधीश मीरजापुर के न्यायालय में दी गयी मा० न्यायालय ने दिनांक 11.11.2020 को यथा स्थिति बनाये जाने का आदेश पारित किया गया, जिससे जारी नोटिस मा० न्यायालय के समादर में स्थगित और प्रक्रियाधीन है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-20 में विज्ञापित भूमि का चकबंदी प्रक्रिया द्वारा राजस्व अभिलेख 41-45के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी आरक्षित वन भूमि है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार गैर वानिकी प्रयोग वर्जित है। इस सम्बन्ध में वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि मा० न्यायालय, एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 के अनुपालन में मौके की स्थलीय/अभिलेखीय जाँच में ए०सी०पी० टोल वेज द्वारा साविक नम्बर 827 मि० से बना हाल नम्बर 291 में कुल क्षेत्रफल 7.79 हे० भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया जबकि मा० न्यायालय द्वारा अपील संख्या-11/2020 में मात्र रकबा 3.79 हे० पर ही स्थगन आदेश पारित है शेष उक्त गाटा में 4 हे० अतिरिक्त कब्जा पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी ए०सी०पी० टोलवेज के प्राधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता द्वारा शेष 4 हे० कब्जा के बावत कोई अभिलेख/साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। मा० न्यायालय द्वारा वाद संख्या-11/2020 ए०सी०पी० टोलवेज बनाम् क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज व 2 अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 11.11.2020 को ही आधार बनाकर मा० जनपद न्यायाधीश, गीरजापुर के न्यायालय में अवमानना वाद संख्या-56/2024 ए०सी०पी० टोलवेज बनाम् क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज व 2 अन्य योजित किया गया है। जिसका किसी प्रकार का सम्बन्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 61 बी बेदखली नोटिस वाद संख्या-04/2024 क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज बनाम् ए०सी०पी० टोलवेज द्वारा किये गये अतिरिक्त 4 हे० आरक्षित वन भूमि से नहीं है। उक्त वाद में सम्यक सुनवाई हेतु पर्याप्त समय दिया गया एवं वादी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन एवं वादी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं की वहरा सुनने एवं मा० न्यायालय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2024 द्वारा पारित आदेश में की गयी टिप्पणी के आधार पर एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित टी०एन०गोड्डाबर्मन बनाम् यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-61बी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ए०सी०पी० टोलवेज द्वारा ग्राम-बेलखरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के आराजी संख्या-827 मि० से बना हाल नम्बर 291 में कुल अतिक्रमित 7.79 हे० वन भूमि में से मा० न्यायालय से प्रतिपक्षीय के पक्ष में प्राप्त स्थगन आदेश रकबा 3.79 हे० जैसा कि वाद संख्या-147/2017 ए०सी०पी० टोलवेज बनाम् क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज व अन्य में संलग्न नक्शे के अनुसार को छोड़ते हुये शेष अतिरिक्त रूप से अतिक्रमण किये गये क्षेत्रफल-4.00 हे० से वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्राविधानों के अनुसार अपना कब्जा 15 दिवस के अन्दर हटाये अन्यथा उनको अवैध कब्जे से बेदखल कर दिया जायेगा। कब्जा हटाने में होने वाले खर्चों की वसूली उनसे की जायेगी।

आदेश

उपरोक्त पत्रावली के अवलोकन एवं विवेचना के परिस्थितियों को देखते हुये मैं इस अभिमत का हूँ कि ए०सी०पी० टोलवेज, ग्राम-बेलखरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा आरक्षित वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है, जिससे

इनको बेदखल करना विभाग के हित में आवश्यक है। तदनुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-61बी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं यह आदेश देता हूँ कि अनाधिकृत/अवैध कब्जाधारी ए०सी०पी० टोलवेज, ग्राम-बेलखरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर वन विभाग की उक्त भूमि पर किये गये कब्जे को 15 दिवस के अन्दर खाली कर दें।

उक्त निर्धारित तक ए०सी०पी० टोलवेज ग्राम-बेलखरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा वन भूमि पर कब्जा खाली न करने की दशा में उन्हे वन विभाग की उक्त भूमि पर किये गये कब्जे से बल पूर्वक बेदखल कर दिया जाये एवं बल पूर्वक बेदखली की कार्यवाही किये जाने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-61बी (3) के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार को अधिकृत किया जाता है। उक्त बेदखली की कार्यवाही में होने वाले समस्त व्यय की वसूली ए०सी०पी० टोलवेज, ग्राम-बेलखरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर की जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

आदेश संख्या-203 अ/समदिनांक 16-7-24

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
3. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
4. उप जिलाधिकारी, चुनार।
5. उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी, मीरजापुर।

✓ क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुये प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

8. ए०सी०पी० टोलवेज, बेलखरा, मीरजापुर।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

04/24 (60B का)
नोटिफिकेशन दिनांक-24-07-24
ग्राम 5 बजकर 56/मीरजापुर
प्राप्त किया,
S.D. Omkar
24/07/2024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 4663 / मी०क्षे०/61बी-4, दिनांक, मई 16- 2025

मीरजापुर वन प्रभाग के वाद संख्या-04 / 2024 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-61 बी-(4) भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तर प्रदेश संशोधन 2000) में योजित अपील संख्या-01 / 2024

ए०सी०पी० टोलवेज,
प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
(पिन कोड-226010)

बनाम्

क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज,
मीरजापुर वन प्रभाग।

निर्णय:-

वादी/ए०सी०पी० टोलवेज, प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम 61-बी के वाद संख्या-04 / 2024 क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज, मीरजापुर वन प्रभाग बनाम् ए०सी०पी० टोलवेज, प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के विरुद्ध अपनी अपील दिनांक 23.08.2024 मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के न्यायालय में दिनांक 23.08.2024 अपीलीय अधिकारी को योजित की गयी।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-61 (ख) की उपधारा (4) के अधीन वन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाय, ऐसे आदेश के विरुद्ध सर्किल के वन संरक्षक को या ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, अपील कर सकता है और वन अधिकारी का आदेश ऐसी अपील में विनिश्चय से अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

अपीलकर्ता/ए०सी०पी० टोलवेज, प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का अपनी अपील दिनांक 23.08.2024 के माध्यम से कथन निम्नवत् है :-

A. Because, the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone, Mirzapur has conducted the entire proceedings arising out of Case No.4/2024 under section 61-B (1) of the Indian Forest Act, 1927 in utter violation of Principles of Natural Justice as he has acted to be the judge of his own cause.

B. Because, the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone, Mirzapur on one hand has furnished a report to the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi alleging that the appellant had carried out constructions over 7.79 hectares of forest reserve area and on the other hand has issued a show cause notice under section 61-B (1) of the Indian Forest Act, 1927 thereby violating the principles of natural justice.

C. Because, the show cause notice dated 01.04.2024 issued under 61-B (1) of the Indian Forest Act, 1927 had been issued to the appellant with a premeditated mind and therefore was a mere formality as the issuing authority had already determined that the appellant had encroached over 7.79 hectares of reserve forest area before issuance of the show cause notice.

- D. Because, the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone, Mirzapur has passed the impugned order on the basis of a report which has been prepared by a four member committee which was headed by the Divisional Forest Officer himself.
- E. Because, the showcause notice and the impugned order has been passed relying upon a preliminary report without completing the process of survey/inspection.
- F. Because, the impugned order is unsustainable in the eyes of law as the respondent no.1 failed to provide any report or documents, which formed basis of the impugned order, to the appellant despite specific demands vide reply dated 19.04.2024 and 25.05.2024.
- G. Because, the sole case of the respondent revolves around a report of the committee submitted in furtherance of an order dated 02.02.2024 issued by the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi which was never served upon the appellant by the Divisional Forest Officer thereby taking away the chance to rebut / reply to the same.
- H. Because, the impugned order and the show cause notice dated 01.04.2024 are unsustainable in the eyes of law as the same have been passed by placing reliance upon adverse material which was never served upon the appellant and for this ground alone the impugned order is liable to be quashed.
- I. Because, non-supply of the material relied by the respondent against the appellant has deprived the appellant from its legitimate right to rebut /reply to the material used against it while issuing the show cause notice as well as the impugned order dated 16.07.2024.
- J. Because, the inquiry report allegedly prepared by the four member committee simply records a conclusion that the appellant is in unauthorized occupation over forest land without adverting to any documents or a legally and validly conducted inspection of the property in dispute.
- K. Because the alleged report of the four-member committee is no report as it fails to show any scale of measurement or any marking depicting the boundaries of the land which has been alleged to have been illegally occupied by the appellant.
- L. Because not only does the survey report fail to show the exact measurements, location, boundaries of the lands in question, it also does not show any fixed points.
- M. Because, the main dispute between the appellant and the forest authorities is regarding the true identity and location of the property in dispute which has not been decided till date.
- N. Because the Divisional Forest Officer could not have arrived at a finding that the property in dispute lies within forest reserve area in the absence of proper inspection/survey of the property in dispute and its adjoining land.
- O. Because, no demarcation proceedings were ever conducted by the respondents over the property in question either in presence of the appellant or in its absence thereby making it clear that the entire proceeding arising out of case no.04/2024 were merely to evict the appellant from a property over which there exist legitimate claim.
- P. Because, the respondent failed to bring on record any document by means of which it could be proved that the appellant was allegedly in illegal possession / had carried out constructions over 7.79 hectares of land.
- Q. Because, by means of the impugned order, the respondent have failed to discharge its burden of proving that the appellant had encroached 4 hectares of land over the property in dispute and rather have cursorily assumed that the appellant was encroaching upon forest reserve area merely because the appellant failed to provide any document to substantiate its claim over the alleged encroachment.
- R. Because, the impugned order dated 16.07.2024 erroneously reverses the burden of proof by requiring the appellant to produce evidence to prove the validity of its occupation over the property in dispute, instead of requiring the respondents to conduct a proper survey to establish that the appellant has encroached upon forest reserve area.

- S. Because, the impugned order has been passed merely to circumvent the order dated 11.11.2020 passed by the Court of District Judge, Mirzapur despite being aware of the order dated 11.11.2020 in the most arbitrary and whimsical manner.
- T. Because, neither the report submitted by the committee nor the show cause notice issued to the appellant under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927, makes any reference to any survey/inspection which was mandatory for the purposes of identifying the exact location of the property in dispute.
- U. Because, the show cause notice has been issued in a hasty manner without any application of mind as the Divisional Forest Officer has issued the show cause notice on the same date on which recommendation was made by the Regional Forest Officer.
- V. Because, even from the perusal of the impugned order it is apparent that the respondent has merely made an averment of alleged encroachment over 4 hectares of land situated at Gata No.827 Minjumla whereas has failed to provide specific demarcation in respect of the alleged encroachment.
- W. Because, from the perusal of the impugned order it is clear that a direction has been issued to the appellant to handover possession of 4 hectares of land which allegedly is in possession of the appellant leaving aside the area i.e. 3.79 hectares which has been drawn through a map in the suit bearing no.147/2017, failing to provide specific demarcation in respect of the alleged encroachment.
- X. Because the final conclusion regarding the Appellant's unauthorized occupation over forest reserve area in the report dated 01.04.2024 is based upon pure conjecture, and is totally imaginary in nature.
- Y. Because, the appellant is not in possession of area more than that has been mentioned in the suit bearing no. 147/2017 and the same has been shown through a map annexed to the suit.
- Z. Because, the concerned authority failed to consider that it was the specific case of the appellant that gata no. 827 as a whole consisted of 313 bighas and the appellant was not in occupation over land falling within gata no. 827 minjumla admeasuring 305 bighas rather was in possession of remaining area of gata no. 827.
- AA. Because, the show cause notice dated 01.04.2024 and the impugned order dated 16.07.2024 are based upon an alleged report which is preliminary in nature and lacks any conclusiveness.
- BB. Because the same report dated 01.04.2024 itself mentions that the investigation and survey is still underway, which implies that the Regional Forest Officer had not arrived at any conclusive finding before the issuance of the show cause notice.
- CC. Because another letter dated 01.04.2024 written by the Regional Forest Officer to the Divisional Forest Officer makes it apparent that the show cause notice under Section 61-B (1) has been prepared by the Regional Forest Officer himself, and not by the Divisional Forest Officer who was the competent authority for the purposes of issuing a notice under this section.
- DD. Because the said letter dated 01.04.2024 also clearly shows that the notice has been prepared by the Regional Forest Officer in the required format, and the same has been forwarded to the Divisional Forest Officer for further action on the same.
- EE. Because the Divisional Forest Officer has mechanically issued the show cause notice prepared by the Regional Forest Officer, without forming the requisite 'opinion' under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927, which is a mandatory requirement under the said section.
- FF. Because the Divisional Forest Officer has acted as a mere post office and has failed to discharge his statutory obligations under the section by issuing the show cause notice dated 01.04.2024 without application of mind.
- GG. Because the map annexed to the suit bearing no.147/2017 has been verified by the local commissioner which specifically states that the appellant is only in possession of the area that has been mentioned in the map and the area mentioned in the map is identical to the actual situation at site.
- HH. Because, the impugned order has been issued on the directions issued vide order dated 10.04.2024 issued by the National Green Tribunal without any independent application of mind.

II. Because, the impugned order has been issued concealing the fact that the report furnished in furtherance of order dated 02.02.2024 was actually furnished by the same authority that was hearing the proceedings arising out of Case No.4/2024 i.e. the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone, Mirzapur.

JJ. Because, the impugned order has been passed by the respondent no.1 in total non-consideration of the replies dated 19.04.2024, 25.05.2024 and 21.06.2024 to the show cause notice, furnished by the appellant.

अपीलार्थी की योजित अपील के आलोक में वादी/प्रतिवादी को धारा अन्तर्गत-61 बी-(4) भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तर प्रदेश संशोधन 2000) के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के न्यायालय के पत्रांक 973/मी0क्षे0/10रिट, दिनांक अगस्त 29, 2024 द्वारा नोटिस निर्गत करते हुए उनका पक्ष/प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.09.2024 की पूर्वाह्न 11:00 बजे तिथि नियत करते हुए सुनवाई के लिए बुलाया गया तथा प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से अपेक्षा की गई कि वे अपीलार्थी की अपील दिनांक 23.08.2024 में उल्लिखित तथ्यों पर बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत करें। उक्त नियत तिथि पर दोनों पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए।

अपीलार्थी की अपील दिनांक 23.08.2024 पर प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज एवं उनके अधिवक्ता के माध्यम से बिन्दुवार आपत्ति मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के कार्यालय में दिनांक: सितम्बर 17, 2024 को प्रस्तुत की गई जिसके अंश निम्न प्रकार हैं:-

1. "यदि डिविजन वन अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के किसी वन अधिकारी की राय है कि धारा 20 अथवा 29 के अधीन कोई क्षेत्र वन भूमि के लिए आरक्षित अथवा संरक्षित है जिस पर कोई व्यक्ति काबिज है और उसे बेदखल किया जाना चाहिए तो वन अधिकारी संपृक्त व्यक्ति को नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि या उससे पूर्व यह कारण दर्शित करने के नोटिस जारी करेगा कि बेदखली का कोई भी आदेश क्यों न जारी किया जाना चाहिए"

यही यह स्पष्ट करना समीचीन है कि अपीलान्त द्वारा 3.79 हे० के अलावा 4.00 हे० आरक्षित वन भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त अवैध कब्जा आरक्षित वन भूमि पर कर्मचारी आवास व स्टोर आदि निर्माण कर लिया गया है जो अपील के साथ संलग्न कागजात पेज सं० 159 एच 2 केस व अपील के साथ संलग्न वाद सं० 147/2017 के नजरी नक्शा व अमीन पेज नं० 64 व द्वारा प्रेषित नक्शा पेज सं० 70 तथा संलग्न किराया लीज जो पेज सं० 48 से 54 के अवलोकन से स्पष्ट है। अस्तु अपील पोषणीय नहीं है।

2. अपील के प्रस्तर बी का झूठा, साक्ष्यविहीन एवं मनमाना है जो उपरोक्त प्रस्तर 1 में दी गई आख्या से स्पष्ट है। अस्तु अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

3. अपील के प्रस्तर सी में अंकित कथन वास्तविकता के विपरीत एवं मनमाना है अस्वीकार है जो उपरोक्त प्रस्तर में दी गयी आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है। अस्तु याचिका पोषणीय नहीं है।

4. याचिका के प्रस्तर डी में अंकित तथ्य विधि विरुद्ध व साक्ष्यविहीन है यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अपीलान्त द्वारा अपील के साथ संलग्न किया गया लीज अनुबंध पत्र व उनके द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी०डी०) मीरजापुर वाद सं० 147 सन् 2017 का नजरी नक्शा जो याचिका का पेज सं० 64 है व उसी मुकदमें में प्रेषित अमीन आख्या का नजरी नक्शा जो अपील का पेज सं० 70 है, के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपील के समय उसके द्वारा नक्शे में वर्णित यथास्थान निर्माण आदेश दिनांक 02.11.2017 (जो पेज सं० 66) के बाद किया गया है जो अमीन के नक्शे में वर्णित यथास्थान निर्मित वस्तुओं के अवलोकन से स्पष्ट है। अस्तु याचिका पोषणीय नहीं है।

5. अपील के प्रस्तर ई में अंकित कथन झूठा व मनगढ़न्त है जो उपरोक्त प्रस्तरों में दी गयी आख्या एवं मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दी गयी आख्या एवं सर्वे मैप के अवलोकन से स्पष्ट है। अस्तु याचिका पोषणीय नहीं है (संलग्न 1)

6. अपील के प्रस्तर एफ का कथन अविधिक है जो भा०व० अधि० (उ०प्र० संशोधन 2000) की धारा 61 (ख) में वर्णित विधि व्यवस्था के अवलोकन से स्पष्ट है। (संलग्नक-2)

7. अपील के प्रस्तर जी का कथन बिल्कुल झूठा व साक्ष्यविहीन है जो उपरोक्त प्रस्तरों में दी गयी आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है याची द्वारा अपने याचिका में दाखिल नजरी नक्शे व उसके क्रम में अमीन द्वारा दी गयी आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को स्पष्ट दर्शित कर रहा है।

8. अपील के प्रस्तर एच व आई का कथन जिस प्रकार कथित है अस्वीकार है यहाँ यह स्पष्ट करना है कि अपीलान्त शातिर किस्म का अवैध अतिक्रमणी है उसके द्वारा मा० न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) को भी इसी तरह से गुमराह कर अपने स्वत्व की भूमि का न तो नजरी नक्शा माप के अनुसार दिया गया है न ही कोई भू अभिलेख प्रदत्त किया गया है जिसके कारण मा० न्यायालय द्वारा उसके अस्थाई निषेधाज्ञा को दिनांक 27.02.2020 को निरस्त कर दिया गया (जो अपील का पेज सं० 73 से 78) है, के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार आदेश दिनांक 16.07.2024 अपीलान्त को सम्यक सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर तथा बहस सुनकर व भारतीय वन अधिनियम (उ०प्र० संशोधन 2000) की धारा 61 (ख) (जो अप्राधिकृत अध्यासियों के संक्षिप्त बेदखली के सम्बन्ध में है) दिये गये प्राविधानों का समुचित पालन करते हुए पारित है। अस्तु याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

9. अपील के प्रस्तर के, एल, एम, एन, ओ, पी, का कथन बिल्कुल झूठा, आधारहीन व विधि विरुद्ध है, अतिरिक्त कथन को सुरक्षित रखते हुए अस्वीकार है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आ०सं० 827 जिसका हाल नम्बर 291 है स्थित मौजा बेलखरा तहसील चुनार मीरजापुर का सम्पूर्ण रकबा धारा 20 में विज्ञापित है, वह आरक्षित वन भूमि है। धारा 20 के विज्ञापित के पश्चात् गांव में चकबन्दी हुई है चकबन्दी का आकार पत्र 41 व 45 की छायाप्रति अपीलान्त द्वारा अपील में संलग्न कागज सं० 114 व 115 है, के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा आरक्षित वन भूमि पर अविधिक रूप से फर्जी एवं झूठे तथ्यों के आधार पर अवैध अतिक्रमण किया है उसके द्वारा किये गये फर्जी कृत्यों के विरुद्ध मा० न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा किसी भी समय संज्ञान लेकर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का आदेश कर सकते हैं। यही यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अपीलान्त का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह 4 हे० वन भूमि अतिरिक्त किये गये अतिक्रमण के बारे में वह स्पष्टीकरण दे, किन्तु उनके द्वारा सो काज नोटिस दिनांक 01.04.2024 में दिये गये स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी कोई स्पष्टीकरण अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में नहीं दिया गया है न ही मेमोरेण्डम ऑफ अपील में ही कहीं भी अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। जबकि विधि का सिद्धान्त है कि न्याय चाहने वाले को निर्मल हाथों से आना चाहिए। इस तरह से भी अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 16.07.2024 सर्वथा विधिक एवं वैधानिक व भारतीय वन अधिनियम (उ०प्र० संशोधन 2000) की धारा 61बी के उल्लिखित प्रावधानों के सर्वथा अनुकूल है। अस्तु याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

10. अपील के प्रस्तर क्यू का कथन अमान्य है यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि भारतीय वन अधिनियम (उ०प्र० संशोधन 2000) की धारा 61 बी में विहित प्राविधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्डन ऑफ प्रूफ अपीलान्त पर है कि वह किसके आदेश से किस आधार पर 4 हे० अतिरिक्त वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है। काश यदि नहीं किया है तो उसका स्पष्टीकरण देना था किन्तु उसके द्वारा ऐसा न कर अवर न्यायालय व मा० न्यायालय श्रीमान् जी को गुमराह कर मा० न्यायालय श्रीमान् जी के अमूल्य समय को जाया करते हुए किसी तरह से अपने अवैध अतिक्रमण बरकरार रखने की जुगाड़ में है एवं समय को पास किया जा रहा है। अस्तु अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

11. अपील के प्रस्तर आर० का कथन अविधिक, झूठा एवं भ्रामक है जो उपरोक्त प्रस्तरों में दी गयी आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है। अस्तु याचिका पोषणीय नहीं है।

12. अपील के प्रस्तर एस का कथन मान्य नहीं है जो उपरोक्त प्रस्तरों में दी गयी आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है। यही यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि धारा 20 के प्रकाशन के बाद प्रश्नगत भूमि पर धारा 27 (ए) प्रभावी है। उक्त के आलावा प्रश्नगत भूमि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०-744-759 सन् 1977 दिनांक 08.07.1996 स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम डी०डी०सी० के वाद में निर्धारित सिद्धान्त कि धारा 20 सिविल डिग्री का प्रभाव रखती है धारा 20 के प्रकाशन की वाइण्डिंग सिविल न्यायालय पर उस तरह से होगी (संलग्नक-3)। धारा-61 बी की

कार्यवाही भारतीय वन अधि० (उ०प्र० संशोधन 2000) के तहत अवर न्यायालय द्वारा की गई है जिसकी अपील मा० न्यायालय श्रीमान् जी के यहाँ की जायेगी यह विशेष विधि है अतएव सिविल प्रक्रिया संहिता या अन्य विधि में दी गयी विधि व्यवस्था के तहत किसी के द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के परे होने के कारण विधि के निगाह में शून्य है। अस्तु याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

13. अपील के प्रस्तर टी, वी, डब्लू का कथन जिस प्रकार कथित है विधि विरुद्ध है अतएव मान्य नहीं है यहाँ यह स्पष्ट करना है कि अपीलान्त द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण अतिरिक्त 4 हे० का चिन्हांकन अपीलार्थी द्वारा योजित वाद सं० 147 सन् 2017 में दिये गये नजरी नक्शे व अमीन रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे व उसके द्वारा संलग्न लीज अनुबन्ध पेज 48-54 तथा सर्वे रिपोर्ट जो उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार के साथ की गयी है, (संलग्नक-4) के अवलोकन से स्पष्ट है। अस्तु अपील पोषणीय नहीं है।

14. अपील के प्रस्तर एक्स, वाई का कथन अविधिक एवं मनमाना है अस्वीकार है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी द्वारा 3.79 हे० के अतिरिक्त 4 हे० वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है या नहीं ? जो बेसिस ऑफ अपील एवं मुख्य आरोप के बारे में स्पष्टीकरण न देकर उसके द्वारा मेजरमेन्ट मांगना सर्वथा विधि विरुद्ध है उसके द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण मौके पर आज विद्यमान है जिसका सत्यापन न्यायालय श्रीमान् जी स्वयं अथवा किसी भी जाँच एजेन्सी से करा सकते हैं। अस्तु याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

15. अपील के प्रस्तर जेड का कथन बिल्कुल विधि विरुद्ध है आ०सं० 827 हाल नं० 291 का सम्पूर्ण रकबा वन विभाग के नाम दर्ज है तथा नेचर ऑफ द लैण्ड पहाड़ है जो अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा संलग्न कागज सं० 114 व 115 के अवलोकन से स्पष्ट है तथा उक्त भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 में दिये गये प्रावधानों एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 टी०एन० गोण्डा बर्मन व बनवासी सेवा आश्रम बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० के केस में पारित आदेशों से सुरक्षित है। अस्तु याचिका पोषणीय नहीं है।

16. अपील के प्रस्तर बी बी, सीसी, डीडी तथा इडू का कथन विधि विरुद्ध भ्रामक तथा न्यायालय श्रीमान् जी को धोखा देकर अपने अवैधानिक कब्जे को लम्बे समय तक बनाये रखने के उद्देश्य से किया गया है। विधि का सिद्धान्त यह है कि वादी अपने वाद के स्थायित्व के बारे में मा० न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं तर्क रखेगा न कि प्रतिवादी के कमियों को दर्शित करेगा तथा विधि का यह भी सिद्धान्त है कि प्रतिवादी के कमियों का लाभ वादी को नहीं मिलेगा।

जैसा कि उपरोक्त प्रस्तरों में स्पष्ट किया जा चुका है अपीलान्त द्वारा किये गये 4 हे० वन भूमि के अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में न तो अवर न्यायालय में न तो न्यायालय श्रीमान् जी के यहाँ अपीलान्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसके द्वारा अतिरिक्त 4 हे० वन भूमि पर अतिक्रमण किस आधार पर किसके आदेश पर किया गया है, यदि नहीं किया गया है तो उसका उल्लेख भी नहीं किया जा रहा है जिससे स्वतः सिद्ध है कि वह मात्र मुकदमेबाजी में फंसाकर अपने अवैध अतिक्रमण को एनकेन प्रकारेण बनाये रखना चाहता है।

17. अपील के प्रस्तर एफएफ, जीजी तथा एच एच कथन विधि विरुद्ध है साक्ष्यविहीन है जिसके सम्बन्ध में विस्तृत आख्या उपरोक्त प्रस्तरों में दी जा चुकी है।

18. अपील के प्रस्तर आई आई व जेजे का कथन सर्वथा विधि विरुद्ध एवं अवैधानिक है। अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 16.07.2024 अपीलान्त को सम्यक सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए सम्यक परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण सिद्ध होने पर पारित है जो पुष्टि किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कथन

1. यह कि अपीलार्थी द्वारा 4 हे० अतिरिक्त आरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में न तो अवर न्यायालय में न तो प्रश्नगत मेमोरेण्डम ऑफ अपील में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जो उसके द्वारा आरक्षित वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मौन स्वीकृति का द्योतक है। अस्तु अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अपीलार्थी द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण एवं उसमें किये जा रहे गैरवानिकी कार्य से जहाँ एक ओर वन एवं पर्यावरण को गम्भीर क्षति हो रही है वही दूसरी ओर आरक्षित वन क्षेत्र एवं आरक्षित वन भूमि में रह रहे संरक्षित प्रजाति के वन्य जीवों एवं अन्य प्रकार के गम्भीर क्षति अपीलार्थी द्वारा पहुँचायी जा रही है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी है।

3. यह कि अन्य तमाम विधिक एवं तथ्यात्मक आधारों पर भी अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

दिनांक 10.09.2024 की सुनवाई उपरान्त अगली सुनवाई तिथि दिनांक 18.09.2024 अपराह्न 4:00 बजे नियत करते हुए प्रतिवादी पक्ष को आदेशित किया गया कि वे अपना लिखित अभिकथन दिनांक 18.09.2024 से पूर्व प्रस्तुत करें तथा उसकी एक प्रति वादी पक्ष को भी उपलब्ध करायें।

दिनांक 18.09.2024 की नियत तिथि पर दोनों पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी द्वारा वादी की अपील के विरुद्ध अपनी आपत्ति/प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जिसे सुनवाई के दौरान वादी पक्ष को हस्तगत कराया गया। दोनों पक्ष को साक्ष्यों पर आधारित अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने का एक अन्तिम अवसर देते हुए सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 27.09.2024 नियत की गई।

दिनांक 27.09.2024 की नियत सुनवाई तिथि पर दोनों पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी की ओर से अगली सुनवाई तिथि नियत करने का अनुरोध किया गया। वादी के अनुरोध पर सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 07.10.2024 अपराह्न 12:00 बजे नियत की गई। सुनवाई में प्रतिवादी क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार मार्फत श्री शिव प्रसाद दूबे (एड0) फारेस्ट काउंसिल, मीरजापुर द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया जिसकी एक प्रति अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को हस्तगत करायी गयी जिसके अंश निम्नवत् हैं:-

1. यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में श्री यशवन्त सिंह बनाम भारत संघ व अन्य के आदेश दिनांक 02.02.2024 (संलग्नक 1) के क्रम में प्रश्नगत ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि० की स्थलीय निरीक्षण/जाँच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.02.2024 के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण की जाँच हेतु उच्च स्तर से प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

2. गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा समिति के अन्य सदस्यों से प्रश्नगत प्रकरण की जाँच/स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त निर्देश के क्रम में समिति में सदस्य-उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार, उप प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर सहित सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार व अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में मौका मुआयना/स्थलीय निरीक्षण किया गया।

3. जाँच के क्रम में समिति के उपरोक्त सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार को राज्य विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रश्नगत ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि० द्वारा किये जा रहे भूमि उपयोग की सर्वे एवं सीमांकन करा कर वस्तु स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

4. प्राप्त निर्देश के क्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार व समिति के सदस्यों द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से मौके का सर्वे एवं सीमांकन कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, चुनार को पत्रलेख करने हेतु अनुरोध किया गया।

5. उक्तवत अनुरोध के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक 2890/मीरजापुर/10 रिट दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक 2) द्वारा उप जिलाधिकारी, चुनार को उपरोक्तानुसार मौके पर सर्वे एवं सीमांकन कराये जाने हेतु पत्र लिखा गया।

6. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्र दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक 3) के क्रम में उप जिलाधिकारी, चुनार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 41/रा0का0/सीमांकन, दिनांक 13.03.2024 (संलग्नक 4) द्वारा सर्वे एवं सीमांकन हेतु राजस्व टीम गठित करते हुए दिनांक 11.03.2024 की तिथि नियत की गयी।

7. प्रश्नगत ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि० कैम्प कार्यालय अहरौरा ग्राम बेलखरा, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर द्वारा उप जिलाधिकारी, चुनार को सम्बोधित करते हुए प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.03.2024 (संलग्नक 5) प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि आराजी नम्बर-291/2 का जनपद न्यायालय के मि०अ0सं0-11/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 द्वारा मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। जिस कारण उक्त नियत तिथि पर सर्वे एवं सीमांकन कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका।

8. प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली से आच्छादित होने के कारण तथा सर्वे एवं सीमांकन की महत्ता के दृष्टिगत मौके की सर्वे/सीमांकन किये जाने के वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार द्वारा

जी०पी०एस० मशीन की सहायता से प्रश्नगत ए०सी०पी० टोलवेज द्वारा किये जा रहे वन भूमि उपयोग का ए०सी०पी० टोलवेज द्वारा मौके पर किये गये घेर-बाड़, बाउण्ड्री कार्य से होते हुए जी०सी०पी० प्वाइंट्स रिकार्ड कर पॉलीगन बनाया गया। तत्पश्चात जी०पी०एस० में रिकार्ड हुए रीडिंग पॉलीगन को गूगल अर्थ पर प्रोजेक्ट किया, जिसमें पाया गया कि प्रश्नगत ए०सी०पी० टोलवेज द्वारा मा० जनपद न्यायालय में विचाराधीन विवादित गाटा सं०-291/2/कुल रकबा 3.79 हेक्टेयर के सापेक्ष कुल 7.79 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण विस्तार करते हुए अनेक औसंरचनात्मक कार्य कर कुल 4 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया। (संलग्नक 6)

9. यहां यह भी अवगत कराना समीचीन है कि जी०पी०एस० पद्धति द्वारा सर्वे एवं सीमांकन एक सुनियोजित, सर्वमान्य एवं वैज्ञानिक तकनीकी है, जिसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता क्योंकि इस विधि में उपग्रही समूहों द्वारा विभिन्न समयान्तरालों पर पृथ्वी पर उपस्थित/निर्मित आब्जेक्ट का चित्रण किया जाता है, जिसे गूगल अर्थ पर नग्न आंखों से आसानी से देखा जा सकता है।

10. उपरोक्तानुसार किये सर्वे/सीमांकन के पश्चात क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार द्वारा प्रश्नगत ए०सी०पी० टोलवेज के गाटा सं०-291/2 के कुल रकबा 3.79 के सापेक्ष मौके पर कुल 7.79 हेक्टेयर अर्थात् 4 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि उपयोग की सूचना पूर्व में दिये गये निर्देश के क्रम में समिति के सदस्यों को दी गयी तथा क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार द्वारा मा० जनपद न्यायालय के उक्त आदेश से आच्छादित गाटा सं०-291/2 के कुल रकबा 3.79 हेक्टेयर को छोड़ कर प्रश्नगत टोलवेज द्वारा अतिरिक्त 4 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण विस्तार कर अवैध कब्जा करने के बावत रेंज केस सं०-01/चुनार/2024 दिनांक 01.04.2024 अन्तर्गत सुसंगत अधिनियम/धाराओं में एच-2 केस पंजीकृत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर को सूचित किया गया।

11. प्रश्नगत ए०सी०पी० टोलवेज द्वारा गाटा सं०-291/2 के कुल रकबा 3.79 से अतिरिक्त 4 हेक्टेयर अधिकृत वन भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में आने पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.02.2024 के क्रम में गठित समिति के सदस्यों- उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार, उप प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर व अन्य द्वारा अपने स्तर से पुनः जी०पी०एस० पद्धति द्वारा मौके की सर्वे/सीमांकन कार्य कर क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार द्वारा किये गये सर्वे/सीमांकन को सत्यापित किया गया। जिसमें प्रश्नगत टोलवेज द्वारा मौके पर कुल 7.79 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर किये गये वन भूमि उपयोग की पुष्टि हुई। तत्पश्चात समिति के उपरोक्त सदस्यों द्वारा अभिलेखीय परीक्षण/स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त बृहद तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करते हुए समिति के अध्यक्ष प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के समक्ष संस्तुति हस्ताक्षर करने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके क्रम में समिति अध्यक्ष प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए जाँच रिपोर्ट उच्च स्तर को प्रेषित की गयी।

12. क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार रेंज द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-292/चुनार/10 केस, दिनांक 01.04.2024 द्वारा संलग्न रेंज केस सं०-1/चुनार/2024-25, दिनांक 01.04.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर को प्रश्नगत ए०सी०पी० टोलवेज द्वारा किये गये उपरोक्तानुसार अतिरिक्त 04 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट प्रेषित कर सूचित किया गया। (संलग्नक 7)

13. क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार द्वारा प्रेषित पत्रांक-292/चुनार/10 केस, दिनांक 01.04.2024 का संज्ञान लेते हुए तथा पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकनोंपरान्त संतुष्ट होकर प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा प्रश्नगत टोलवेज के विरुद्ध उपरोक्तानुसार 4 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि पर अवैध कब्जा करने के अपराध में भारतीय वन अधिनियम 1927 (उ०प्र० संसोधन 2000) में निहित प्राविधानों/प्रक्रियाओं के अनुपालन में वाद सं०-04/2024 दिनांक 02.04.2024 पंजीकृत करते हुए अन्तर्गत धारा-61बी (1) के तहत नोटिस तामीला कराते हुए उक्त अधिनियम में वर्णित संक्षिप्त बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसके लिए प्रथम सुनवाई हेतु दिनांक 20.04.2024 की तिथि नियत की गयी।

यहां यह भी उल्लेख करना है कि विवादित गाटा सं०-291/2 का कुल रकबा 3.79 हेक्टेयर ही है। ग्राम बेलखरा के भारतीय वन अधिनियम धारा-20 के अन्तर्गत अधिसूचित नक्शे व प्रश्नगत विवादित भू-खण्ड का मिलान करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भू-खण्ड/विवादित गाटा सं०-291/2 का कुल रकबा 3.79 हेक्टेयर (जिसे सरस्वती देवी द्वारा कूटरचना करते हुए अवतरित कराया गया है) के पश्चिम में वाराणसी शक्तिनगर राज्यमार्ग तथा पूरब, उत्तर

एवं दक्षिण में भारतीय वन अधिनियम की धारा-20 में विज्ञापित आरक्षित वन भूमि का आराजी सं०-291 मि० का जुज भाग है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भू-खण्ड से सटे भू-भाग पर आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य कास्त भूमि/ग्रामसभा भूमि/अन्य भूमि अवस्थित नहीं है। (संलग्नक 8)

14. उपरोक्त से स्पष्ट है कि विवादित भू-खण्ड गाटा सं०-291/2 का कुल रकबा 3.79 हेक्टेयर के अतिरिक्त वन भूमि उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 (उ०प्र० संशोधन 2000), वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सर्वथा वन अपराध की श्रेणी में आयेगा। प्रश्नगत प्रकरण में भी ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि० द्वारा इसी प्रकार का कृत्य किया गया है।

15. उपरोक्त बिन्दु सं०-14 के होते हुए भी प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा अपने न्यायिक धर्म का पालन करते हुए तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि० के विरुद्ध कोई एक तरफा बेदखली आदेश न पारित कर उक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किया एवं संक्षिप्त बेदखली के सम्बन्ध में विधि द्वारा स्थापित प्राविधानों प्रक्रियाओं को अपनाते हुए तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण खाली कराये जाने सम्बन्धी समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के समादर में ही संक्षिप्त बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

16. न्यायालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा सुनवाई के क्रम में प्रश्नगत ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि० को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि० द्वारा किये गये 4 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके क्रम में न्यायालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा दोनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद संतुष्ट होकर प्रश्नगत ए०सी०पी० टोलवेज द्वारा किये गये अतिरिक्त 4 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में बेदखली आदेश संख्या-203 दिनांक 16.07.2024 (संलग्नक 9) पारित किया गया। जिसमें उन्हें 15 दिवस के अन्दर उपरोक्त 4 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि को खाली करने का आदेश दिया गया।

17. न्यायालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर ए०सी०पी० टोलवेज द्वारा न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष प्रश्नगत अपील दायर की गयी।

बहस के मुख्य बिन्दु:-

1. यह कि अपील में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि कोई भी अपने मामले का जज नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि (जैसा कि संक्षिप्त इतिहास के बिन्दु संख्या-11, 12 व 13 में वर्णित है) क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार तथा गठित समिति में उल्लिखित सदस्यों द्वारा सर्वे/सीमांकन पश्चात प्रस्तुत आख्या के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा वाद सं०-04/2024, क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार बनाम ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि० अन्तर्गत धारा-61बी (1) संस्थित की गयी। उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम 1927 (उ०प्र० संशोधन 2000) की धारा 61बी (1) अनाधिकृत कब्जाधारियों की संक्षिप्त बेदखली के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान है-

Summery Eviction of unathorised accopants

1. If a forest officer not below the rank of a Divisional forest officer, is of the opinion that any person is in unauthorized occupation of any land in areas constituted as reserved or protected forest under section 20 or section 29 as the nous may be and that he should be evicted. The forest officer shall issued a notice in writingcalling upon the person concerned to show, cause on or before such date as is specified in the notice, why an order of eviction should not be made.

2. If after concerning the cause, if any shown in pursuance of a notice under this section, the forest officer is satisfied that the said land is in unauthorized occupation he may makeup order of eviction for reasons to be recorded there in directing that the said land shall be vacated by such date, as may be specified in the order by the person concerned which shall not be less than ten days form the date of the order.

उक्त से स्पष्ट है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (उ०प्र० संशोधन 2000) विशेष विधि है तथा विशेष उद्देश्य हेतु बनायी गयी है जिसके तहत वन भूमि पर बेदखली हेतु शक्तियां प्रभागीय वनाधिकारी में निहित है। ऐसे में

यह कहा जाना कि प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा पारित निर्णय अपने मामले में जज होने के समान है। सर्वथा विधि विरुद्ध है। अस्तु अपील पोषणीय नहीं है।

2. यह कि अपील में यह कहा गया है कि अतिरिक्त 4 हे० वन भूमि का सर्वे सीमांकन मैप प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि (जिसे संक्षिप्त इतिहास के बिन्दु सं०-5,6,7,8,9 व 10 में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है) अपीलार्थी शातिर किस्म की कम्पनी है इसके द्वारा प्रकरण को मा० जनपद न्यायालय के स्टेटस का हवाला देते हुए उप जिलाधिकारी चुनार को अपने पत्र दिनांक 09.03.2024 के माध्यम से सर्वे सीमांकन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की गयी। बावजूद इसके संक्षिप्त इतिहास के उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं के क्रम में जी०पी०एस० पद्धति द्वारा सर्वे सीमांकन कर इनके द्वारा की जा रही अवैध कब्जे सम्बन्धी मैप को तैयार कर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को प्रेषित किया और साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर को अतिरिक्त 04 हेक्टेयर वन भूमि के लिये किये गये अतिक्रमण को भी अवगत कराया गया। उक्त के क्रम में ही बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ हुयी। वाद संख्या 147 सन् 2017 में प्रेषित नजरी नक्शा जो अपील के साथ कागज संख्या 64 है, में नाप दर्शित नहीं है तथा यथास्थान 20 निर्माण अंकित है जबकि न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दी गई आख्या के साथ संलग्न नजरीनक्शा जो अपील का कागज संख्या 17 है, में यथास्थान अंकित 27 निर्माण अंकित है जिसमें माप अंकित नहीं किया गया है इस तरह से यथा के आदेश के बाद अतिक्रम सिद्ध है। धारा 20 का मैप (संलग्न-10) से चौहद्दी भी भिन्न है। अपीलान्त द्वारा अपील के साथ संलग्न किया गया लीज जो अपील का कागज संख्या 48 से 54 है जिसमें गलत चौहद्दी व दो गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं है एवं अपंजीकृत है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी शातिर चाल शुरू से ही चला है। अपीलार्थी द्वारा भारतीय वन अधिनियम (उ०प्र० संशोधन 2000) की धारा 61बी में वर्णित विधि व्यवस्था की मंशा के विपरीत यह कहा गया है कि वर्डन ऑफ प्रूफ अभियोजन पर है जो सर्वथा गलत है। ज्ञातव्य है कि अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय में दिये गये स्पष्टीकरण जो अपील का कागज संख्या 122 से 129 है, में कहीं भी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया है कि उसके द्वारा 3.7 हे० के अतिरिक्त 4 हे० वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है या नहीं यहाँ तक की उक्त प्रश्न का प्रतिउत्तर मेमोरेण्ड ऑफ अपील में भी नहीं दिया गया है उसके द्वारा मनमानी ढंग से न्यायालय श्रीमान् जी को गुमराह किया जा रहा है।

अपीलार्थी द्वारा किये गये अतिरिक्त 4 हे० अवैध अतिक्रमण की जाँच गठित समिति के उपरोक्त सदस्यों द्वारा भी की गई है जिनकी रिपोर्ट एवं गूगल मैप का नक्शा माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को दिया गया है। पूर्व में भी इनके द्वारा सोनभद्र में ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि० रावर्ट्सगंज स्थापित है। जिसमें इनके द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसमें मा० न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ०ए० न०-636/2022 में आदेश दिनांक 22.08.2023 (संलग्नक 11) में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ने ए०सी०पी० टोलवेज द्वारा की गई अनियमितताओं पर MOEF&CC को निर्देशित किया गया है कि पर्यावरण की क्षति का आंकलन करते हुए विधिक कार्यवाही करते हुए अवगत करायें। इसी क्रम में MOEF&CC द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ को पत्र लिख कर अवगत कराया गया कि ए०सी०पी० टोलवेज से पर्यावरण क्षति के रूप में पीनल NPV जो कि वन भूमि के NPV का पाँच गुना होना चाहिए को वसूल करें। अपील के कागज संख्या 56 में अंकित प्रस्तर 5 के कथन अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा स्वयं माप न देना और यह कहा जाना कि वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है डिमार्केशन आदि कराने से माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी से स्पष्ट है जबकि अतिरिक्त पट्टा के सम्बन्ध में किसी भी अदालत का कोई आदेश नहीं है, यहाँ तक की उक्त के अतिरिक्त इनके द्वारा उप जिलाधिकारी चुनार के यहाँ भी इसी तरह की दलील प्रस्तुत की गई है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि धारा 20 मे विज्ञप्ति आरक्षित वन भूमि है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 27ए प्रभावी है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका सं०-1268 सन् 1979 स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम डी०डी०सी० में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2013 में मत व्यक्त किया गया है जिसका मुख्य अंश निम्न है— (संलग्नक 12)

Declaration under section 20 of the forest act cannot be questioned either by the Civil Court or by the Revenue court or by consolidation court. In spit of that D.D.C. held that land in dispute

was wrongly declarned as reserved forest through notification under section 20 of the Act D.D.C. clearly excedted the jurisdiction. The declaration of reserved forest under section 20 of the act is binding upon consolication court Civil Court decree in this regard reference may be made to AIR 1996 SC 2432 State of U.P. Vs D.D.C.

In Contesting respondents were aggrieved by preliminary notification under section 4 of forest Act they have availed the remedies-provided under the Act (Section 6, 9, 17, 11 & 16). Nowever after final notification under section 20 the Chapter is closed

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने उ०प्र० सरकार बनाम डिप्टी डायरेक्टर कन्सलिटेशन व अन्य ए०आई०आर० 1996 पेज 2432 में व्यक्त किया है कि किसी भूमि के सम्बन्ध में भा०व० अधिनियम की धारा 20 विज्ञप्ति सिविल कोर्ट की डिक्ली का प्रभाव रखती है और चकबन्दी न्यायालय की धारा 20 भा०व० अधिनियम में विज्ञप्ति भूमि के सम्बन्ध में किसी वाद की सुनवाई का अधिकार नहीं रहा जाता है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की छायाप्रति।

उक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत आराजी पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) प्रभावी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा याचिका संख्या 202/1995 टी०एन० गोडाबर्न बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिनांक 12.12.1996 (संलग्नक 13) को निर्णय पारित करते हुए मत व्यक्त किया है कि वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधान ऐसी भूमि पर भी लागू होते हैं जो अभिलेखों में वन भूमि हो या मौके पर वन भूमि हो चाहे उस पर स्वामित्व किसी का हो।

It has emerged at the hearing, that there is a misconception in certain quarter about the true scope of the forest conservaion Act 1980 (for shor the Act) and the meaning of the word "forest" the need a prior approval of the Central Government as required by sec 2 of the Act, in respect of certain activities in the forest area which are more aften of commerical nature it is necessary to clarify that postitive. The forest conservation there of. The word forest must be understood according to its dictionay meaning. This description covers all statutionis recognised forest, whether designated as reserved protected or otherwise for the purpose of section 2(i) of the forest conservation Act. The term "forest land" occurring in section 2, will not only include forest as understood the dictionary sense. but also any area recorded as forest in the government record unsertood for the purpose of Section 2 of the Act. The provisions enacted in the forest conservation Act 1980 for the conservation forests and the matters conncted therewith ust apply clearing to all forest to understood irrestedpective of the ownership or classfication then of.

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि लीजकर्ता श्रीमती सरस्वती देवी स्वयं स्थगन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद याचिका संख्या 19144/2004 दाखिल किया था। जिस पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिया गया और याचिका दिनांक 03.03.2014 को निरस्त कर दिया है, (संलग्नक 14) उक्त परिप्रेक्ष्य में भी जनपद न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 निष्प्रभावी है एवं अधिकार क्षेत्र के परे है। यही यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रश्नगत आराजी आरक्षित वन भूमि है जो एन०जी०टी० एक्ट की धारा 29 (2) से संरक्षित है सिविल न्यायालय को आरक्षित भूमि पर यथास्थिति का आदेश देने का अधिकार क्षेत्राधिकार के परे है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भू-खण्ड के सम्बन्ध में अनेक कपोल-कल्पित/कूट-रचित तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए प्रकरण को न सिर्फ विभिन्न न्यायालयों में उलझाये रखने का कृत्य किया अपितु वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके वन एवं पर्यावरण को घनघोर क्षति पहुँचायी जा रही तथा वन भूमि में रह रहे हैं संरक्षित प्रजाति के वन्य जीव आगरा मॉनिटर लिजार्ड, कोबरा (अनु०-1) का प्राणी के प्राकृतिक आवास व उनके अण्डे बच्चे को नष्ट किया जा रहा है जिस पर श्रीमान् जी द्वारा किसी भी समय संज्ञान लेकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

3. यहां यह भी उल्लेखनीय बिन्दु है कि अपीलार्थी वन कर्मियों को अपने सम्यक कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर रूप से बाधा पहुँचाया जा रहा है कार्यवाही किये जाने पर उसके द्वारा फर्जी रूप से न्यायालय के अवमानना की धौंस दी जाती है जिसका जीता जागता उदाहरण उसके द्वारा 4 हे० वन भूमि पर अतिरिक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही

पर अपीलान्त द्वारा किये गये 4 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण/साक्ष्य प्रस्तुत करने के बजाय अवमानना नोटिस एवं जनपद न्यायालय मीरजापुर के यहाँ अवमानना वाद दाखिल किया गया है। जबकि यथा स्थिति दोनों पक्षों को बनाये रखना था बावजूद इसके न सिर्फ मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2020 की अवमानना की गयी अपितु उनके द्वारा उल्टे वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर अपने धन, बल व रसूख के बल पर उक्त अवमानना वाद दाखिल किया गया है। उसके द्वारा फर्जी लीज के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त कर उसके आड़ में अतिरिक्त 4.00 हे० वन भूमि पर अतिक्रमण कर पर्यावरण एवं वन्यजीवों को पहुँचायी गयी क्षति के लिए सम्पूर्ण रूप से दाई है उसका भी नियमानुसार निर्धारण कर अपीलान्त से क्षतिपूर्ति करना न्यायसंगत है।

4. यह कि उपरोक्त के अतिरिक्त अपील में उठाये गये अन्य समस्त बिन्दुओं को तोड़-मरोड़ कर प्रकरण को उलझाने की नियत से प्रस्तुत किया गया है जो भ्रामक एवं गुमराह करने से है।

दिनांक 07.10.2024 की नियत सुनवाई तिथि पर दोनों पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान वादी/ए०सी०पी० टोलवेज, प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया जिसके अंश निम्नवत् है:-

1. The present appeal has been preferred challenging the impugned order dated 16.07.2024, served to the appellant on 26.07.2024, passed by the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone, Mirzapur under section 61-B (1) of the Indian Forest Act, 1927. By means of the impugned order the appellant has been allegedly found to be in illegal possession over 7.79 hectares of land situated at Araji No. 827 Minjumla situated at Village Belkhera, Pargana Ahraura, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur. It was mentioned that out of the total land alleged to be in illegal occupation of the appellant, leaving the area admeasuring 3.79 hectare (the map demarcating the same) in suit no. 147/2017, the appellant was directed to vacate the remaining 4 hectare of land within 15 days of receipt of the order. (**Annexure No.1 to the instant appeal**).

2. That the impugned order has been passed in the most arbitrary and whimsical manner in utter violation of Principles of Natural Justice as he has acted to be the judge of his own cause. Further, the impugned order is also bad in the eyes of law as the same has been passed relying upon a preliminary report without completing the process of survey/inspection. The impugned order has also been passed placing reliance upon adverse / extraneous material which was never served upon the appellant. The impugned order contrary to the settled principle of law has reversed the burden of proof requiring the appellant to produce evidence to prove the validity of its occupation over the property in dispute.

RELEVANT FACTS

3. That the UPSHA proposed to develop Four Laning/Six Laning (with paved shoulders) of Varanasi - Shaktinagar road up to Hathi Nala (SH-5A) from km 0.00 to km 117.65 in the State of Uttar Pradesh to be executed on DBFOT basis (hereinafter referred to as "Project"). The Project Road SH-5A starts from Narayanpur near Varanasi and passes through seven major settlements of Adalhat, Sukrat, Ahraura, Robertsganj, Markundi, Chopan and Dala before ending at the junction leading to Hathinala Forest Area.

4. That in pursuance thereto, the UPSHA invited proposals by way of its Request for Qualification No. 197, dated 31.05.2011 (hereinafter referred to as "RFQ") for shortlisting of bidders for the Project development on DBFOT basis in accordance with the terms and conditions set out in the Concessionaire Agreement. The UPSHA had accordingly shortlisted certain bidders including, inter alia, the consortium of M/s Apco Infratech Limited, M/s Chetak Enterprises Limited and Patel Engineering Limited (JV) having M/s Apco Infratech Limited as the lead member of the Consortium. Thereafter the appellant was incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 for the above mentioned work.

5. That the UPSHA had prescribed technical and commercial terms and conditions while inviting the bids or Request for Proposals ("RFP") from the bidders shortlisted by the applicant after

submission of the RFQs. On evaluating the RFPs, the UPSHA accepted the bid of the appellant and issued a Letter of Award dated 15.11.2011 ("LOA") to the appellant (**Annexure No.2 to the instant appeal**).

6. That the appellant hence entered into a Concessionaire Agreement with the UPSHA on 08.12.2011 to undertake and implement the Project on DBFOT basis, in accordance with the terms and conditions as provided in the Concessionaire Agreement (CA) (**Annexure No.3 to the instant appeal**).

7. That the appellant established its office at Village Belkhera, Pargana Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur for execution of the above mentioned work awarded to the appellant. The office was set up at Arazi No.291/2, admeasuring 3.7940 hectares, situated at Mauja Belkhera, Pargana Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur.

8. That the property mentioned in the above mentioned paragraph was firstly in possession of M/s Chetak Enterprises Limited since the year 2011 which is one of the members of the appellant.

9. That there after, on 11.05.2017 the appellant had entered into a lease agreement with one Ms. Saraswati Devi over the parcel of land bearing Arazi No.291/2 admeasuring 3.7940 hectare, situated at Pargana Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur. Ms. Saraswati Devi was the owner of the land bearing Arazi No.291/2 admeasuring 3.7940 hectare. The possession of the abovementioned land was provided to the appellant on 11.05.2017 (**Annexure No.4 to the instant appeal**).

10. That on 24.09.2017, M/s Chetak Enterprises received a notice issued by Regional Forest Officer, Chunar Range, Chunar, Mirzapur alleging that the property over which the appellant had possession was allegedly a forest area which was registered under the name of the Forest Department. It was specifically provided that the property be vacated by the appellant at the earliest. M/s Chetak Enterprises duly replied to the notice dated 24.09.2017 specifically bringing to their knowledge that the property in question vested with Ms. Saraswati Devi and it had possession over the property through a lease agreement, but the officials of the Forest Department visited the property in question on 28.09.2017 and started asserting their claim over the property and coerced the employees of the appellant to vacate the property in question and threatened to demolish the establishment constructed over it.

11. That being aggrieved by the notice dated 24.09.2017 and the actions of the representatives of the department on 28.09.2017, the appellant alongwith M/s Chetak Enterprises preferred a suit bearing no.147 of 2017 before the court of Civil Judge (Senior Division), Mirzapur seeking injunction against the forest department from being evicted forcefully from the property in question. The appellant alongwith the suit had filed a map showing the details of the property in question and the same were marked as A, B, C, D, E, F. The map clearly showed that it contained a hotmix plant, cement godown. plant operator room, casting yard, borewell, drivers block, engineers block, washing unit, amongst other things. The map also showed that from the property in question a nala was flowing just before the casting yard and just after the washing unit (**Annexure No.5 to the instant appeal**).

12. That by means of an order dated 21.11.2017, the learned court passed an injunction order against the forest authorities restraining them from dispossessing the appellant from the 3.7940 hectare land situated at Arazi No.291/2 Pargana Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur and further directed that status quo be maintained (**Annexure No.6 to the instant appeal**).

13. That the learned court thereafter appointed a local commissioner to inspect the property in question, to submit a map with respect to the structures present over the property in question and to demarcate the above-mentioned property.

14. That the local commissioner carried out the inspection on 10.05.2018 over the property in question and submitted a report before the learned court. In the report of the commissioner, it was specifically mentioned that the demarcation A, B, C, D, E, F contained office, lab, guest house, staff room, store room, Karkhana, welding workshop, diesel tank, hotmix plant etc. The local commissioner

annexed a map alongwith the report which contained the demarcation of the property and all the respective establishment over the same. The map drawn by the local commissioner was identical to the map annexed by the appellant alongwith its suit (**Annexure No.7 to the instant appeal**).

15. That the interim order dated 21.11.2017 granted in favour of the appellant remained in effect till 27.02.2020 and the same was vacated by the court concerned only by means of order dated 27.02.2020 (**Annexure No.8 to the instant appeal**).

16. That being aggrieved by the order dated 27.02.2020, the appellant preferred an appeal bearing no.11 of 2020 before the Court of District Judge, Mirzapur.

17. That the respondent on 10.09.2020 issued a notice to the appellant under section 61 B (1) of the Indian Forest Act, 1927 alleging that the appellant had illegally occupied the property in question which was a reserve forest land. The notice dated 10.09.2020 specifically asked the appellant to show cause as to why the appellant be not evicted from the property in question as the same fell within the forest reserve area (**Annexure No.10 to the instant appeal**).

18. That the appellant in reply to the notice dated 10.09.2020 specifically denied the allegations made by the forest officials by means of a letter dated 26.09.2020. It was specifically stated that an appeal against the order dated 27.02.2020 was pending before the Court of District Judge, Mirzapur. It was requested that the notice dated 10.09.2020 be kept in abeyance till a decision is taken by the competent court (**Annexure No.11 to the instant appeal**).

19. That there after the appeal was listed on 11.11.2020 and on that date again an adjournment application had been preferred by the officers of the forest department, which was duly opposed by the appellant. The learned court taking note of the order dated 22.05.2020 passed an order on the interim relief sought by the appellant and directed the parties that status quo be maintained over the property in question till the next date of listing i.e. 30.11.2020 (**Annexure No.12 to the instant appeal**).

20. That thereafter, the appeal was listed before the concerned court on various dates and the matter was last listed on 01.08.2024. The ad-interim injunction order in favour of the appellant is continuing till date. (**Annexure No.13 to the instant appeal**).

21. That the khatauni shows name of Saraswati Devi being in possession of land No. 291/2 which makes it apparent that 291/1 and 291/2 were two distinct parcel of land. Furthermore, it pertinent to mention that the gata no. 827 consisted of 313 bighas whereas the gata no. 827 minjumla contains 305 bighas which is the forest area. (**Annexure No.14, 15 and 16 to the instant appeal**).

22. That despite there being an order dated 11.11.2020, the respondent issued a notice under section 61-B (1) of the Indian Forest Act, 1927 alleging that the appellant was in possession of a land that fell within the reserve forest area. The notice now stated that the appellant was in possession of 4 hectares of land situated at Gata No.827 Minjumla (**Annexure No.17 to the instant appeal**).

23. That the appellant denied all the allegations made by the Divisional Forest officer and further demanded copies of the documents based upon which the notice dated 01.04.2024 under section 61-B (1) had been issued to the appellant. It was also brought notice that the proceedings initiated by the Divisional Forest Officer were in teeth of the order dated 11.11.2020 and therefore were contemptuous (**Annexure No.18 to the instant appeal**).

24. That the above-mentioned notice has been issued to the appellant in furtherance of proceedings initiated by one Chaudhary Yashwant Singh in original application no.112 of 2024 before the National Green Tribunal. Principal Bench, New Delhi. Relevant orders passed in original application no.112 of 2024 have been annexed as **Annexure No.19** to the instant appeal.
25. That the appellant has also preferred contempt proceedings bearing No.56 of 2024 against the respondent, in which notices have been issued to the respondent. (Ordersheet annexed as Annexure No.20 to the instant appeal).
26. That the appellant also denied allegations by means of letter dated 21.06.2024 specifically stating that the area over which the appellant was in possession of is not a reserve forest area and the Gata No.827 admeasured 313 Beegha whereas the land that vests in the forest department is only 305 Beeghas in the Gata No.827 Minjumla. (**Annexure no.21 to the instant appeal**).
27. That the impugned order has been passed in the most arbitrary and whimsical manner in utter violation of Principles of Natural Justice as he has acted to be the judge of his own cause. Further, the impugned order is also bad in the eyes of law as the same has been passed relying upon a preliminary report without completing the process of survey/inspection. The impugned order has also been passed placing reliance upon adverse / extraneous material which was never served upon the appellant. The impugned order contrary to the settled principle of law has reversed the burden of proof requiring the appellant to produce evidence to prove the validity of its occupation over the property in dispute.

GROUND OF CHALLENGE

DIVISIONAL FOREST OFFICER HAS ACTED AS A JUDGE IN HIS OWN CASE

28. The Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest zone was the presiding member (**Annexure 1, Page 35 of the appeal and Annexure 22, Page 158 of the instant appeal**) of the committee constituted in furtherance of the order dated 02.02.2024. (**Annexure 19, Page 137 of the instant appeal**).
29. The Divisional Forest Officer has filed a report before the National Green Tribunal, Principal Bench Delhi on 10.04.2024 stating illegal construction on 7.79 hectares of reserved forest land and a mention of notice dated 01.04.2024 has also been made in the above mentioned order (**Annexure 19, Page 139 of the instant appeal**)
30. The Divisional Forest Officer, Mirzapur could not have issued any show cause notice under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 as he was the presiding member of the committee who had allegedly submitted a report which gave categorical findings of encroachment over the property in question.
31. It has been held in A.U. Kureshi Vs. High Court of Gujarat and another reported in (2009) 11 SCC 84 that it is an accepted principle of natural justice that a person should not be a judge of his or her own cause. A reasonable permutation of the latin magazine nemo debet esse judix in propria sua causa is that no judge should adjudicate a dispute which he or she has dealt with in any capacity, other than a purely judicial one. The failure to adhere to this principle creates an apprehension of bias on the part of the said judge.
32. It has also been held in Ashok Kumar Yadav Vs. State of Haryana reported in (1985) 4 SCC 417 that the question is not whether the judge is actually biased or has infact decided partially but whether the circumstances are such as to create a reasonable apprehension in the mind of others that there is a

likelihood of bias affecting the decision. If there is a reasonable likelihood of bias it is 'in accordance with natural justice and common sense that the judge likely to be so biased should be incapacitated from sitting'. The basic principles underlying this rule is that justice must not only be done but must also appear to be done.

33. Furthermore, the above ratio has been followed by the Hon'ble Supreme Court in Mohd. Yunus Khan Vs. State of Uttar Pradesh and others reported in (2010) 10 SCC 539 wherein it has been categorically held that the legal maxim *nemo debet esse judex in propria sua causa* is required to be observed by all judicial and quasi judicial authorities as non-observance of the principle is treated as a violation of the principles of natural justice. The existence of an element of bias renders the entire disciplinary proceedings as void which cannot be cured even at an appellate stage even if the fairness of the appellate authority is beyond dispute. The judgment further goes on to state that no person could be a Judge in his own cause and no witness could certify that his own testimony was true, anyone who had a personal stake in an enquiry must have kept himself aloof from the enquiry.

34. That from the perusal of the documents mentioned above, it is apparent that the Divisional Forest Officer had been the presiding member of the team constituted in furtherance of the order dated 02.02.2024 of the NGT, Delhi whose scope was to determine alleged encroachments of the appellant over the Gata No.827 Minjumla. **(Ground D)**.

35. The Divisional Forest Officer has submitted a report to the NGT, Delhi as well as to the Chief Conservator of Forest giving categorical findings of encroachment by the appellant over 7.79 hectares of land in Gata No.827 Minjumla. **(Ground B)**.

36. After giving such categorical findings against the appellant and issuance of the show cause notice by the Divisional Forest Officer on the basis of such findings, the Divisional Forest Officer becomes a Judge of its own findings and apparently falls within the parameters of bias as provided in the maxim *nemo debet esse judex in propria sua causa*. **(Ground A)**.

CONTENTION OF THE RESPONDENT

37. Any Divisional Forest Officer is competent to issue notice under section 61-B (1) of Indian Forest Act if he is of the opinion that any person is in unauthorized occupation of any land in areas constituted as reserved or protected forest under section 20 or section 29 of the Indian Forest Act, 1927.

38. The appeal filed by the appellant is liable to be dismissed because the appellant has carried out encroachments over 4 hectares of reserved forest land beyond 3.79 hectares of land.

39. The construction over the property is more than what has been portrayed in the map annexed to suit no.147 of 2017 which means constructions were carried out after passing of the order dated 02.11.2017.

REJOINDER

40. The case of the appellant is not that a Divisional Forest Officer does not have power to issue notice under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927.

Rather, the case of the appellant is that the incumbent Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone, Mirzapur was the presiding member of a committee which had furnished a report to the NGT, Delhi and the Chief Conservator of Forest. As such, the Divisional Forest Officer Mirzapur Forest Zone, Mirzapur

could not have issued notice under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 as he then becomes a judge of his own findings and falls within the parameters of bias as provided in the maxim nemo debet esse judex in propria sua causa.

41. The Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone, Mirzapur while passing the impugned order has certified his own testimony (report) by which he has relied upon its own report, upheld the same and thereafter has passed an order against the appellant. Such a conduct is in violation of the maxim nemo debet esse judex in propria sua causa.

42. The Divisional Forest Officer was an authority who had personal stake in the enquiry made against the appellant as he was the presiding officer of the committee which made a report alleging encroachments over forest reserve land. In such a scenario, the Divisional Forest Officer must have kept himself aloof from the proceedings under section 61-B in order to nullify the aspect of bias in the instant proceedings.

THE SHOW CAUSE NOTICE HAS BEEN ISSUED WITH A PREMEDITATED MIND

43. The Divisional Forest Officer had issued a show cause notice dated 01.04.2024 under section 61-B (1) of the Indian Forest Act, 1927 with a premeditated mind and therefore, the entire proceedings arising out of the same were merely a formality as the Divisional Forest Officer had already determined that the appellant had encroached over 7.79 hectares of forest area.

44. The Divisional Forest Officer submitted an alleged report before the NGT, Delhi on 10.04.2024 making categorical averments that the appellant had carried out illegal constructions on 7.79 hectares of reserve forest land. **(Annexure 19, Page 139 of the instant appeal).**

45. The Divisional Forest Officer has addressed a letter to the Chief Conservator of Forest, Mirzapur Circle, Mirzapur which bears no date but makes a categorical averment that under his supervision a 4 member committee has furnished a report which has given a categorical finding that the appellant is under illegal possession of 7.79 hectares of reserved forest land. **(Annexure 22, Page 158 of the instant appeal).**

46. The show cause notice issued under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 has already given conclusions stating that the appellant was in illegal possession over 4 hectares of reserve forest land. The notice categorically mentions that the Divisional Forest Officer already has sufficient material to be satisfied that illegal constructions exist over 4 hectares of reserve forest land situated at Gata No.827 Minjumla. **(Annexure 17, Page 120 of the instant appeal).**

47. It has been categorically laid down by Hon'ble Supreme Court in Siemens Limited Vs. State of Maharashtra and others reported in (2006) 12 SCC 33 that once a show cause notice has been issued with premeditation any representation or reply to the same shall not yield any fruitful purpose as an authority has a tendency to uphold the same once a decision has already been made.

48. Similarly, in Oryx Fishiries Private Limited Vs. Union of India and others reported in (2010) 13 SCC 427 it has been categorically laid down that it is true that show cause notice cannot be read hypertechnically and the same is to be read reasonably. But one thing is clear that while reading a show cause notice the person who is subject to it must get an impression that he will get an effective opportunity to revert the allegation contained in the show cause notice and prove his innocence. In case, upon reasonable reading a person of ordinary prudence gets the feeling that his reply to the show cause notice will be an empty formality and he would merely knock his head against

the prejudged opinion, such a show cause notice does not fall within the parameters of fair procedure specially when the same has been issued by the quasi judicial authority under any statutory prescriptions which further promises to give the person proceeded against a reasonable opportunity of defense.

49. Furthermore, it has also been laid down that while issuing a chargesheet to a delinquent employee cannot confront him with definite conclusions and the same has to be restricted to mere charges.

50. From the reading of the show cause notice, it is apparent that the Divisional Forest Officer had already made up his mind and had reached to definite conclusions in respect of the alleged encroachments by the appellant over Gata no.827 Minjumla. Such premeditated conclusions are further strengthened by the perusal of the order dated 10.04.2024 of the NGT, Delhi and the undated letter addressed to the Chief Conservator of Forest by the Divisional Forest Officer which categorically mentions that the appellant was in illegal possession of 7.79 hectares of forest reserve land falling in Gata No.827 Minjumla.

CONTENTION OF THE RESPONDENT

51. The grounds raised by the appellant are in stark contrast to reality and made up and has no backing. From the perusal of the report given in the above mentioned paragraphs it is clear that the ground is liable to be rejected.

REJOINDER

52. The ground C raised by the appellant is in respect of show cause notice being issued with premeditated mind, the same can be supported from the perusal of the show cause notice issued under section 61-B, order dated 10.04.2024 issued by the NGT, Delhi and the undated letter sent by the Divisional Forest Officer to the Chief Conservator Officer, Mirzapur Circle, Mirzapur.

THE IMPUGNED ORDER HAS BEEN ISSUED WITHOUT CARRYING OUT A PROPER DETERMINATION AND IDENTIFICATION OF THE PROPERTY IN DISPUTE.

53. The appellant was served with a show cause notice under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 wherein categorical averment has been made that the appellant is in illegal encroachment over 4 hectares of forest reserve land situated at Gata No.827 Minjumla.

54. The appellant was also served with a show cause notice under section 61-B dated 10.09.2020 which was in respect of encroachments over 3.79 hectare of forest reserve land situated at Gata No.827 minjumla.

55. The appellant had preferred a suit against the respondent bearing no.147 of 2017 seeking injunction from being evicted forcefully from the property in dispute i.e. 3.79 hectares of land. The same is pending consideration before the competent court and an interim order maintaining status quo is already operative.

56. The respondent in order to circumvent the proceedings and the order dated 11.11.2020 have again sent the show cause notice to the appellant in respect of 4 hectares of land. The impugned order has given a categorical finding that the appellant is in illegal occupation over 7.79 hectare of land falling within the forest reserve area situated at Gata No.827 Minjumla.

57. The appellant claim right over Gata No.291/2 admeasuring 3.79 hectare of land through a lease deed executed in favour of the appellant by one Saraswati Devi.

58. The case of the respondent is that Gata No.827 Minjumla is now renumbered as 291 and the entire Gata falls within the Forest reserve land whereas the case of the appellant is that Gata No.827 Minjumla that falls within the share of the forest department is only admeasuring 305 Beegha 11 Biswa whereas the entire Gata 827 is more than 305 Beegha and 11 Biswa.

59. The appellant further submits that the land upon which it has occupation falls within the area that has not been categorized as forest reserve land and is in occupation over Gata No.291/2 and not Gata No.291/1 which is the land of the forest department.

60. The original Gata No.827 (now 291) before the same had been bifurcated into forest reserve land and non-forest reserve land admeasured in the year 1983 comprised of 313 Beegha whereas the area which has been notified as forest reserve land only admeasures 305 Beegha and 11 Biswansi.

61. The appellant has never been served with the report of the committee by which it has been determined that the appellant was in illegal possession over 7.79 hectares of land. Furthermore, the only report the appellant is aware of which has been annexed as Annexure No.22, Page 159 nowhere makes a mention of any identification of the land or the manner in which such identification was done. The report is merely a preliminary report without any measurement or demarcation.

62. In absence of any identification of the alleged encroached land, the show cause notice and the impugned order are liable to be set aside for this ground alone as the same failed to firstly identify where the land exists, secondly failed to carry out demarcations as per procedure prescribed by law.

63. Not only does the survey report fail to show the exact measurements, location, boundaries of the lands in question, it also does not show any fixed points.

64. The main dispute between the appellant and the forest authorities is regarding the true identity and location of the property in dispute which has not been decided till date.

65. The Divisional Forest Officer could not have arrived at a finding that the property in dispute lies within forest reserve area in the absence of proper inspection/survey of the property in dispute and its adjoining land.

66. No demarcation proceedings were ever conducted by the respondents over the property in question either in presence of the appellant or in its absence thereby making it clear that the entire proceeding arising out of case no.04/2024 were merely to evict the appellant from a property over which the appellant has a legitimate claim.

67. The respondent failed to bring on record any document by means of which it could be proved that the appellant was allegedly in illegal possession / had carried out constructions over 7.79 hectares of land.

68. By means of the impugned order, the respondent have failed to discharge its burden of proving that the appellant had encroached 4 hectares of land over the property in dispute and rather have cursorily assumed that the appellant was encroaching upon forest reserve area merely because the appellant failed to provide any document to substantiate its claim over the alleged encroachment.

69. The impugned order dated 16.07.2024 erroneously reverses the burden of proof by requiring the appellant to produce evidence to prove the validity of its occupation over the property in dispute, instead of requiring the respondents to conduct a proper survey to establish that the appellant has encroached upon forest reserve area.

70. Neither the report submitted by the committee nor the show cause notice issued to the appellant under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927, makes any reference to any survey/inspection which was mandatory for the purposes of identifying the exact location of the property in dispute.

71. From the perusal of the impugned order, it is clear that a direction has been issued to the appellant to handover possession of 4 hectares of land which allegedly is in possession of the appellant leaving aside the area i.e. 3.79 hectares which has been drawn through a map in the suit bearing no.147/2017, failing to provide specific demarcation in respect of the alleged encroachment.

CONTENTION OF THE RESPONDENT

72. The entire Gata No.827 falls under the reserve forest land as has been mentioned in the notification under section 20 of the Indian Forest Act, 1927. The appellant are in occupation / encroachment over parcel of land that vests with the forest department and is reserve forest land.

73. The appellant was required to give justification over the encroachment of 4 hectares of land which they have failed to do despite specific demand raised in the show cause notice dated 01.04.2024.

74. The measurement in respect of the illegal encroachment over 4 hectares of land is based upon the map annexed to suit no.147 of 2017. Local Commissioner's report, the lease deed and the survey report that was carried out alongwith Deputy Divisional Forest Officer.

REJOINDER

75. A perusal of the facts of the matter indicates that the issue involved in this case is that of identification of land. While the appellant contends that the disputed land is nothing but the 3.79 hectares which has been leased out to the appellant, the respondent contends that the appellant is in authorization occupation of more than the said area of 3.79 hectares. The appellant has also contended that this disputed parcel of land falls outside the 305 Beeghas which has been demarcated as forest land. The respondent contends otherwise, by relying upon certain inadmissible documents. As such it is clear that without proper identification and demarcation of the land in dispute, the adjudication of the disputes involved in the present matter cannot be carried out. Furthermore, any notice or proceeding initiated without carrying out identification and demarcation of the property in dispute in a legal manner would be wholly without any legal basis and jurisdiction. It is relevant to note that the jurisdiction of the forest authorities under the Indian Forest Act, 1927 is limited and restricted to lands which are identified and demarcated as forest land. In the present case, since the appellant has contended and filed an evidence to establish that the disputed property does not qualify as forest land, the authorities cannot legally proceed under the provisions of Indian Forest Act, 1927 without conclusively establishing that the disputed property is indeed forest land.

76. The Hon'ble Supreme Court as well as Hon'ble High Court at Allahabad have repeatedly held that in matters involving disputes regarding identification of property, it is essential to conduct a proper

survey. Without conducting a survey, in the prescribed manner, any show cause notice or order passed by the forest authorities is liable to be set aside.

77. The Hon'ble Supreme Court of India in *Sripat Vs. Rajendra Prasad* has categorically held that the trial court should have got the property surveyed when the disputes was regarding identification of the property. The said judgment of Hon'ble Supreme Court has been followed by the Hon'ble High Court at Allahabad in *Hardwari Lal and others Vs. Dal Singh and others*. 2012 SCC Online All 873.

78. At this stage, the appellant seeks to make reference to certain judgments of the Hon'ble High Court at Allahabad and Lucknow wherein the correct procedure for conducting a survey regarding identification of disputed property has been laid out. In the judgment passed in the case of *Rishipal Singh Vs. State of Uttar Pradesh* reported in (2022) SCC Online All 829, it has been held that a proper survey is required to be conducted in order to identify whether the piece of land is in authorized or unauthorized occupation. The said land is mandatorily required to be shown on a map in exact measurement. Any such map is required to be prepared in accordance with the regulations and principals governing surveys. The Hon'ble High Court has also held that such surveys are required to be conducted in the presence of the party which is being proceeded against. A copy of the report is also required to be provided to such a party, in order to comply with the principles of natural justice.

79. The same ratio has been repeatedly laid down by multiple judgments of the Hon'ble High Court by following the precedent laid down in the judgment of *Rishipal Singh*. Reference may be made to the judgments passed by the Hon'ble High Court in *Ram Bihari Dwivedi vs. State of U.P. and Ors.* Passed in Writ C Nos.39448 and 37953 of 2016 as well as in *Bikau Lal @ Bikau Vs. State of U.P. and others*, passed in Writ C No.8108 of 2023.

80. In the present matter it is abundantly clear that the forest authorities in question have not conducted any proper and valid survey in order to determine the exact identity, location and area of the property in dispute. The inspection report dated 01.04.2024 itself mentions that the enquiry is still ongoing. Nowhere in the said report has any map or survey being even referred to. It nearly makes a blanket statement to the effect that the appellant is in unauthorized occupation of 4 hectares of land, which is independent of the land which has been leased out to the appellant by Smt. Saraswati Devi. Notably, even this inspection report has been prepared in a totally unilateral without involvement of the appellant in any manner whatsoever. The said report is illegal in nature as it is devoid of any proper identification of land.

81. At the stage of arguments in the present matter, the forest authorities, for the first time, handed over an alleged map of the property in dispute, to the appellant. A mere perusal of the said alleged map of the disputed property. would show that the same is totally self serving in nature. The alleged map carries no proper boundaries and measurements. Nowhere has it been indicated either on the map and in the reply filed by the forest authorities as to when this map was prepared or the procedure followed for preparation of said map. The alleged map does not indicate the boundaries of the forest land, and is nothing but a screenshot taken from a mobile device. The very authenticity and genuineness of the alleged map is questionable in nature and same cannot be relied upon in any judicial or quasi judicial proceedings.

82. In any case, the alleged map has never been relied upon by the respondents in the show cause notice or in the impugned order. As such, the same cannot be relied upon in any manner in the process of adjudication of the present appeal.

THE RESPONDENT FAILED TO DISCHARGE THEIR BURDEN OF PROVING THAT THE APPELLANT WAS IN ILLEGAL OCCUPATION OF LAND

83. The impugned order was passed in furtherance of the show cause notice dated 01.04.2024 wherein specific allegation had been made against the appellant that it had illegal possession over 4 hectares of land situated at Gata No.827 Minjumla in Village Belkhara, Police Station Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur. As per the settled law of evidence, the burden of proving that such encroachment exists lies upon the party alleging the fact i.e. the Divisional Forest Officer in the instant case. From the perusal of the impugned order, it is apparent that the respondent no.2 failed to bring on record any document by means of which it could be proved that the appellant was allegedly in illegal possession of the land.

84. The Divisional Forest Officer rather than proving has cursorily assumed that the appellant was encroaching upon forest reserve land merely because the appellant failed to provide any document to substantiate its claim over the alleged encroachment.

85. The burden of proving that an encroachment existed was upon the respondent no.2 which he failed to discharge and rather than concluding the proceedings in a haste manner has shifted his burden upon the appellant by merely stating that the appellant has failed to provide any document to substantiate its claim over 4 hectares of land.

86. It has been a settled law that when certain things are required to be done before any liability is attached to any person in respect of any right or obligation, it is for the person who alleges that liability has been occurred, to prove the things prescribed by the act have actually been done which means that the Divisional Forest Officer had proposed a liability to the appellant stating therein that the appellant was in illegal occupation of 4 hectares of land. It was incumbent upon the Divisional Forest Officer to prove the contents of show cause notice before issuing an order evicting the appellant from the land under its possession.

87. It is no doubt true that the burden of proof may not be of much consequence after both parties let an evidence but while appreciating the question of burden of proof, misplacing of burden of proof on a particular party and recording findings in a particular way will definitely vitiate the judgment. By perusal of the impugned order, it is apparent that the Divisional Forest Officer has passed an eviction order merely because no document had been provided by the appellant whereas it is the case of the respondent that allegedly the appellant is in illegal occupation over a parcel of land and while imposing the allegation the respondent had utterly failed to discharge their burden and have eventually misplace burden of proof upon the appellant.

88. It is pertinent to mention that the appellant was only served with the show cause notice and was never served with any document based upon which the show cause notice has been sent despite there being specific demands in respect of the supply of documents.

CONTENTION OF THE RESPONDENT

89. The burden of proof lies upon the appellant to prove that it is not in illegal occupation over a parcel of land situated at Gata No.827 Minjumla.

REJOINDER

90. It is pertinent to mention that section 101 of the Indian Evidence Act specifically states that whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence

of facts which he asserts. must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

91. Similar to a case the person who desires any court to give judgment as to any legal right is the Divisional Forest Officer. He was bound to prove the existence of a fact that there existed illegal encroachment over the property in question. In order to prove the existence of the fact, the burden of proof lies upon him and not the appellant. It is only thereafter when the Divisional Forest Officer is able to prove and discharge its burden can the appellant be called upon to rebut the same.

92. In the present case, there is not even an iota of evidence which was on record at the time of issuance of the show cause notice, on the basis of which it could be established that the appellant was in unauthorized occupation of any parcel of forest land. As such, the respondents having failed to discharge their burden of proof, cannot allege that the appellant has to establish the legality of their occupation. Furthermore, first and foremost, it is the burden of the respondent authorities to establish that the proceedings in the present matter pertain to forest land. Since they have failed to conclusively establish the same, their jurisdiction to initiate the present proceedings are itself in question.

THE IMPUGNED ORDER HAS BEEN PASSED RELYING UPON EXTRANEIOUS MATERIAL NOT MENTIONED IN THE SHOW CAUSE NOTICE

93. The show cause notice issued to the appellant alleging that the appellant was in possession of a land that fell within the reserved forest area. It was mentioned that the appellant was in illegal occupation of 4 hectare of land situated at Gata No.827 Minjumla, Village Belkhera, Pargana Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur. The finding in respect of illegal possession of 4 hectares of land was based upon an alleged letter dated 01.04.2024 issued by the Regional Forest Officer, Chunar Range to the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Division, Mirzapur by means of which the authority had submitted a report and supporting documents showing the alleged illegal possession of the appellant.

94. The documents were never served upon the appellant despite specific demand.

95. That as per the impugned order, in compliance of the order dated 02.02.2024. a committee was constituted by the Chief Conservator of Forest, Mirzapur Circle to carry out spot/ documentary inspection of the property in question. The committee consisted of 4 unnamed members under the chairmanship of the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone.

96. That as per the impugned order, according to the report submitted by the abovementioned committee the appellant was allegedly found to be in illegal possession over 7.79 hectare of land situated at Araji no. 827 minjumla.

97. The show cause notice nowhere either made a mention about any report that was made by the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone or of any map that is alleged to be relied upon.

98. It has been held by the Hon'ble Supreme Court in Kothari Filaments v. Commissioner of Customs reported in (2009) 2 SCC 192 that a quasi-judicial body cannot pass orders on the basis of documents which were known only to them, copies whereof were not supplied to the noticee. The relevant extract is being provided below:-

"The Act does not prohibit application of the principles of natural justice.

The Commissioner of Customs either could not have passed the order on the basis of the materials which were known only to them, copies whereof were not supplied or inspection thereto had not been given. He, thus, could not have adverted to the report of the overseas enquiries. A person charged with misdeclaration is entitled to know the ground on the basis whereof he would be penalised. He may have an answer to the charges or may not have. But there cannot be any doubt whatsoever that in law he is entitled to a proper hearing which would include supply of the documents. Only on knowing the contents of the documents, he could furnish an effective reply."

THE SHOW CAUSE NOTICE ISSUED TO THE APPELLANT WAS A RUBBER STAMP NOTICE

99. The show cause notice under Section 61-B (1) has been prepared by the Regional Forest Officer himself, and not by the Divisional Forest Officer who was the competent authority for the purposes of issuing a notice under this section.

100. The letter dated 01.04.2024 also clearly shows that the notice has been prepared by the Regional Forest Officer in the required format, and the same has been forwarded to the Divisional Forest Officer for further action on the same.

101. The Divisional Forest Officer has mechanically issued the show cause notice prepared by the Regional Forest Officer, without forming the requisite 'opinion' under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927, which is a mandatory requirement under the said section.

102. It is pertinent to mention that the Divisional Forest Officer had issued a show cause notice to the appellant on 10.09.2020 and the present showcause notice are verbatim identical leaving aside the area alleged to have been encroached.

103. It has been held in *Kranti Associates Private Ltd. and another v. Masood Ahmed Khan* reported in (2010) 9 SCC 496 that :- "A pretence of reasons or 'rubber-stamp reasons' is not to be equated with a valid decision making process."

दिनांक 07.10.2024 की सुनवाई उपरान्त निर्णय सुरक्षित किए जाने से पूर्व अगली सुनवाई तिथि दिनांक 27.12.2024 अपरान्ह 12:00 बजे नियत किया गया जिसमें दोनों पक्ष से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। पुनः दिनांक 08.04.2025 को अपरान्ह 12:00 बजे समय नियत किया गया जिसमें भी दोनों पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुए।

विवेचना:-

वादी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया। अभिलेखों के परिशीलन किए जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत प्रकरण जनपद मीरजापुर के ग्राम बेलखरा, परगना अहरौरा, तहसील चुनार जिला मीरजापुर के गाटा संख्या-827 से आच्छादित है जिसमें वादी पक्ष ए0सी0पी0टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व से 3.79 हे0 के अतिरिक्त निर्विवादित 04 हे0 आरक्षित वन भूमि में अवैध कब्जा को बेदखल करने हेतु भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-61 बी के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा वाद संख्या-04/2024 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज की जांच में पूर्व विवादित 3.79 हे0 के अतिरिक्त 4.00 हे0 क्षेत्रफल में आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा पाये जाने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-61 बी के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के समक्ष बेदखली का वाद दाखिल किया गया। प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा बेदखली वाद संख्या-4/2024 में दिनांक 06.05.2024, 13.05.2024, 22.05.2024, 06.06.2024

एवं 11.06.2024 को दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए सम्यक् विचारोंपरान्त निम्नानुसार आदेश दिनांक 16.07.2024 पारित किया गया।

“उपरोक्त पत्रावली के अवलोकन एवं विवेचना के परिस्थितियों को देखते हुए मैं इस अभिमत का हूँ कि ए0सी0पी0 टोलवेज, ग्राम बेलखरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर द्वारा आरक्षित वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है, जिससे इनको बेदखल करना विभाग के हित में आवश्यक है। तदनुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-61 बी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं यह आदेश देता हूँ कि अनाधिकृत/अवैध कब्जाधारी ए0सी0पी0 टोलवेज, ग्राम बेलखरा, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर वन विभाग की उक्त भूमि पर किये गये कब्जे को 15 दिवस के अन्दर खाली कर दें।

उक्त निर्धारित तक ए0सी0पी0 टोलवेज, ग्राम बेलखरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर द्वारा वन भूमि पर कब्जा खाली न करने की दशा में उन्हें वन विभाग की उक्त भूमि पर किये गये कब्जे से बल पूर्वक बेदखल कर दिया जाये एवं बल पूर्वक बेदखली की कार्यवाही किये जाने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-61 बी (3) के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार को अधिकृत किया जाता है। उक्त बेदखली की कार्यवाही में होने वाले समस्त व्यय की वसूली ए0सी0पी0 टोलवेज, ग्राम बेलखरा, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर की जायेगी। ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के बेदखली आदेश दिनांक 16.07.2024 के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-61 बी-4 के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के न्यायालय में अपील योजित की गयी।

ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर अभिकथन दाखिल किया गया है।

1. बेदखली वाद की सुनवाई में प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस का अनुपालन नहीं किया गया है।
2. मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के आदेश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के न्यायालय में दायर की गई है इसलिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में उनका बेदखली आदेश उचित नहीं है।
3. स्थलीय जाँच रिपोर्ट स्वीकार नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी सर्वे का कार्य सर्वे की रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
4. वादी के द्वारा 7.79 हे0 भूमि पर कब्जा होने के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है।
5. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही मा0 जनपद न्यायालय, मीरजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 के विरुद्ध है।

प्रतिवादी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अपील के उपरोक्त आधार के सम्बन्ध में निम्न अभिकथन प्रस्तुत किया गया

है:-

1. प्रश्नगत ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा गाटा सं0-291/2 के कुल रकबा 3.79 से अतिरिक्त 4 हेक्टेयर अधिकृत वन भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में आने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.02.2024 के क्रम में गठित समिति के सदस्यों- उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर व अन्य द्वारा अपने स्तर से पुनः जी०पी०एस० पद्धति द्वारा मौके की सर्वे/सीमांकन कार्य कर क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार द्वारा किये गये सर्वे/सीमांकन सत्यापित किया गया जिसमें ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा मौके पर कुल 7.79 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर किये गये वन भूमि उपयोग की पुष्टि हुई। तत्पश्चात् समिति के उपरोक्त सदस्यों द्वारा अभिलेखीय परीक्षण/स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त बृहद तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करते हुए समिति के अध्यक्ष प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के समक्ष संस्तुति हस्ताक्षर करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके क्रम में समिति अध्यक्ष प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए जाँच रिपोर्ट उच्च स्तर को प्रेषित की गयी।

यह कि अपील में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि कोई भी अपने मामले का जज नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि (जैसा कि संक्षिप्त इतिहास के बिन्दु संख्या-11, 12 व 13 में वर्णित है) क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार तथा गठित समिति में उल्लिखित सदस्यों द्वारा सर्वे/सीमांकन पश्चात् प्रस्तुत आख्या के क्रम

में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा वाद सं०-04/2024, क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार बनाम ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि० अन्तर्गत धारा-61बी (1) संस्थित की गयी। उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम 1927 (उ०प्र० संशोधन 2000) की धारा 61बी (1) अनाधिकृत कब्जाधारियों की संक्षिप्त बेदखली के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान है-

Summery Eviction of unathorised accopants

1- If a forest officer not below the rank of a Divisional forest officer, is of the opinion that any person is in unauthorized occupation of any land in areas constituted as reserved or protected forest under section 20 or section 29 as the nous may be and that he should be evicted. The forest officer shall issued a notice in writing calling upon the person concerned to show, cause on or before such date as is specified in the notice, why an order of eviction should not be made.

2- If after concerning the cause, if any shown in pursuance of a notice under this section, the forest officer is satisfied that the said land is in unauthorized occupation he may makeup order of eviction for reasons to be recorded there in directing that the said land shall be vacated by such date, as may be specified in the order by the person concerned which shall not be less than ten days form the date of the order.

उक्त से स्पष्ट है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (उ०प्र० संशोधन 2000) विशेष विधि है तथा विशेष उद्देश्य हेतु बनायी गयी है जिसके तहत वन भूमि पर बेदखली हेतु शक्तियां प्रभागीय वनाधिकारी में निहित है। ऐसे में यह कहा जाना कि प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा पारित निर्णय अपने मामले में जज होने के समान है। सर्वथा विधि विरुद्ध है। अस्तु अपील पोषणीय नहीं है।

2. प्रश्नगत प्रकरण में चौधरी यशवन्त सिंह द्वारा ए०सी०पी० टोल प्लाजा जो कि जनपद मीरजापुर के ग्राम बेलखरा परगना अहरौरा, तहसील चुनार, मीरजापुर के आराजी संख्या-291 वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (AT Km. 23.700) पर अवस्थित है, के लगभग 15 बीघा (भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि के रूप में विज्ञापित) पर अवैध रूप से अतिक्रमण तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विनिर्दिष्ट प्राविधानों के तहत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु मा० न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के समक्ष Original Application No. 112/2024 (I.A. No. 45/2024) योजित की गयी जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2024 को आदेश पारित किया जिसके बिन्दु संख्या-5 पर निम्न तथ्य उद्धृत हैं:-

Respondent No. 6 is direction to the file the report reflecting the factual position in respect of location and operation of toll plaza in question especially in reference to the allegation of its estting up in the forest land without permission.

प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से आच्छादित होने के कारण गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा समिति के अन्य सदस्यों से प्रश्नगत प्रकरण की जाँच/स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त निर्देश के क्रम में समिति में सदस्य-उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार, उप प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर सहित सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार व अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में मौका मुआयना/स्थलीय निरीक्षण किया गया।

जाँच के क्रम में समिति के उपरोक्त सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार को राज्य विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रश्नगत ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा किये जा रहे भूमि उपयोग की सर्वे एवं सीमांकन करा कर वस्तु स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त निर्देश के क्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार व समिति के सदस्यों द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से मौके का सर्वे एवं सीमांकन कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, चुनार को पत्रलेख करने हेतु अनुरोध किया गया। उक्तवत अनुरोध के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक 2890/मीरजापुर/10 रिट दिनांक 29.02.2024 द्वारा उप जिलाधिकारी, चुनार को उपरोक्तानुसार मौके पर सर्वे एवं सीमांकन कराये जाने हेतु पत्र लिखा गया। प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्र दिनांक 29.02.2024 के क्रम में उप जिलाधिकारी, चुनार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 41/रा०का०/सीमांकन, दिनांक 13.03.2024 द्वारा सर्वे एवं सीमांकन हेतु राजस्व टीम गठित करते हुए दिनांक 11.03.2024 की तिथि नियत की गयी। ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ,

उत्तर प्रदेश/कैम्प कार्यालय अहरौरा ग्राम बेलखरा, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर द्वारा उप जिलाधिकारी, चुनार को सम्बोधित करते हुए प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.03.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि आराजी नम्बर-291/2 का जनपद न्यायालय के मि0अ0सं0-11/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 द्वारा मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया जिस कारण उक्त नियत तिथि पर सर्वे एवं सीमांकन कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका। प्रश्नगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से आच्छादित होने के कारण तथा सर्वे एवं सीमांकन की महत्ता के दृष्टिगत मौके की सर्वे/सीमांकन किये जाने के वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार द्वारा जी0पी0एस0 मशीन की सहायता से ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा किये जा रहे वन भूमि उपयोग का ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा मौके पर किये गये घेर-बाड़, बाउण्डी कार्य से होते हुए जी0पी0एस0 प्वाईट्स रिकॉर्ड कर पॉलीगान बनाया गया। तत्पश्चात् जी0पी0एस0 में रिकार्ड हुए रीडिंग/पॉलीगान को गूगल अर्थ पर प्रोजेक्ट किया, जिसमें पाया गया कि प्रश्नगत ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा मा0 जनपद न्यायालय में विचाराधीन विवादित गाटा सं0-291/2/कुल रकबा 3.79 हेक्टेयर के सापेक्ष कुल 7.79 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण विस्तार करते हुए अनेक औसंरचनात्मक कार्य कर कुल 4 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया। इस प्रकार ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा अवैध कब्जे सम्बन्धी मैप को तैयार कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर को अतिरिक्त 04 हेक्टेयर वन भूमि के लिये किये गये अतिक्रमण को भी अवगत कराया गया। उक्त के क्रम में बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

भारतीय वन अधिनियम 1927 जोकि अपने आप में एक विशिष्ट अधिनियम है जिसमें वन बन्दोबस्त की प्रक्रिया के पश्चात् वन भूमि को आरक्षित घोषित किए जाने की प्रक्रिया निहित है। ग्राम बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील चुनार, मीरजापुर में वन बन्दोबस्त अधिकारी जोकि उप जिलाधिकारी से अनिम्न स्तर के होते हैं, के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा-6, 9 व अन्य की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ग्राम बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील चुनार, मीरजापुर को विज्ञप्ति संख्या-5924/14-2-20 (47)-82 अधिसूचना संख्या-23 (2) -95-14-ख-67, दिनांक 22 फरवरी 1968 उक्त भूमि को आरक्षित वन भूमि घोषित किया गया है। (स्पष्ट है कि आराजी गाटा संख्या-827 जिसका हाल गाटा संख्या-291 है, का सम्पूर्ण रकबा-305.11 बिस्वा भूमि धारा-20 की विज्ञप्ति से आच्छादित है तथा नेचर ऑफ द लैंड पहाड़ है)। उक्त भूमि वन संरक्षण अधिनियम-1980 की धारा-2 में निहित प्राविधानों एवं मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 टी0एन0 गोंडावर्मन बनाम् वनवासी सेवा आश्रम बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 के वाद में पारित आदेश से सुरक्षित है। इस प्रकार ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व से 3.79 हे0 के अतिरिक्त निर्विवादित 04 हे0 आरक्षित वन भूमि में अवैध कब्जा को बेदखल करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-61 बी के अन्तर्गत निहित प्राविधानों से संतुष्ट होते हुए वाद संख्या-04/2024 में आदेश दिनांक 16.07.2024 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया विधि सम्मत है। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभाष नहीं है।

3. गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा समिति के अन्य सदस्यों से प्रश्नगत प्रकरण की जाँच/स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त निर्देश के क्रम में समिति में सदस्य-उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार, उप प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर सहित सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार व अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में मौका मुआयना/स्थलीय निरीक्षण किया गया।

जाँच के क्रम में समिति के उपरोक्त सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार को राज्य विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रश्नगत ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा किये जा रहे भूमि उपयोग की सर्वे एवं सीमांकन करा कर वस्तु स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त निर्देश के क्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार व समिति के सदस्यों द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से मौके का सर्वे

एवं सीमांकन कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, चुनार को पत्रलेख करने हेतु अनुरोध किया गया। उक्तवत अनुरोध के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक 2890/मीरजापुर/10 रिट दिनांक 29.02.2024 द्वारा उप जिलाधिकारी, चुनार को उपरोक्तानुसार मौके पर सर्वे एवं सीमांकन कराये जाने हेतु पत्र लिखा गया। प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्र दिनांक 29.02.2024 के क्रम में उप जिलाधिकारी, चुनार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 41/रा0का0/सीमांकन, दिनांक 13.03.2024 द्वारा सर्वे एवं सीमांकन हेतु राजस्व टीम गठित करते हुए दिनांक 11.03.2024 की तिथि नियत की गयी। ए0सी0पी0 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश/कैम्प कार्यालय अहरौरा ग्राम बेलखरा, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर द्वारा उप जिलाधिकारी, चुनार को सम्बोधित करते हुए प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.03.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि आराजी नम्बर-291/2 का जनपद न्यायालय के मि0अ0सं0-11/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 द्वारा मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया जिस कारण उक्त नियत तिथि पर सर्वे एवं सीमांकन कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका। प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से आच्छादित होने के कारण तथा सर्वे एवं सीमांकन की महत्ता के दृष्टिगत मौके की सर्वे/सीमांकन किये जाने के वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार द्वारा जी0पी0एस0 मशीन की सहायता से ए0सी0पी0 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा किये जा रहे वन भूमि उपयोग का ए0सी0पी0 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा मौके पर किये गये घेर-बाड़, बाउण्डी कार्य से होते हुए जी0पी0एस0 प्लॉट्स रिकॉर्ड कर पॉलीगान बनाया गया। तत्पश्चात् जी0पी0एस0 में रिकॉर्ड हुए रीडिंग/पॉलीगान को गूगल अर्थ पर प्रोजेक्ट किया, जिसमें पाया गया कि प्रश्नगत ए0सी0पी0 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा मा0 जनपद न्यायालय में विचाराधीन विवादित गाटा सं0-291/2/कुल रकबा 3.79 हेक्टेयर के सापेक्ष कुल 7.79 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण विस्तार करते हुए अनेक औसंरचनात्मक कार्य कर कुल 4 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया।

4. प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से आच्छादित होने के कारण तथा सर्वे एवं सीमांकन की महत्ता के दृष्टिगत मौके की सर्वे/सीमांकन किये जाने के वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार द्वारा जी0पी0एस0 मशीन की सहायता से प्रश्नगत ए0सी0पी0 टोलवेज द्वारा किये जा रहे वन भूमि उपयोग का ए0सी0पी0 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा मौके पर किये गये घेर-बाड़, बाउण्डी कार्य से होते हुए जी0पी0एस0 प्लॉट्स रिकॉर्ड कर पॉलीगान बनाया गया। तत्पश्चात् जी0पी0एस0 में रिकॉर्ड हुए रीडिंग/पॉलीगान को गूगल अर्थ पर प्रोजेक्ट किया, जिसमें पाया गया कि प्रश्नगत ए0सी0पी0 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा मा0 जनपद न्यायालय में विचाराधीन विवादित गाटा सं0-291/2/कुल रकबा 3.79 हेक्टेयर के सापेक्ष कुल 7.79 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण विस्तार करते हुए अनेक औसंरचनात्मक कार्य कर कुल 04 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया।

यह कि अपील में यह कहा गया है कि अतिरिक्त 4 हे0 वन भूमि का सर्वे सीमांकन मैप प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि (जिसे संक्षिप्त इतिहास के बिन्दु सं0-5,6,7,8,9 व 10 में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है) अपीलार्थी शातिर किस्म की कम्पनी है इसके द्वारा प्रकरण को मा0 जनपद न्यायालय के स्टेटस का हवाला देते हुए उप जिलाधिकारी चुनार को अपने पत्र दिनांक 09.03.2024 के माध्यम से सर्वे सीमांकन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की गयी। बावजूद इसके संक्षिप्त इतिहास के उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं के क्रम में जी0पी0एस0 पद्धति द्वारा सर्वे सीमांकन कर इनके द्वारा की जा रही अवैध कब्जे सम्बन्धी मैप को तैयार कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किया और साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर को अतिरिक्त 04 हेक्टेयर वन भूमि के लिये किये गये अतिक्रमण को भी अवगत कराया गया। उक्त के क्रम में ही बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ हुयी। वाद संख्या 147 सन् 2017 में प्रेषित नजरी नक्शा जो अपील के साथ कागज संख्या 64 है, में नाप दर्शित नहीं है तथा यथास्थान 20 निर्माण अंकित है जबकि न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दी गई आख्या के साथ संलग्न नजरीनक्शा जो अपील का कागज संख्या 17 है, में यथास्थान अंकित 27 निर्माण अंकित है जिसमें माप अंकित नहीं किया गया है इस तरह से यथा के आदेश के बाद अतिक्रमण सिद्ध है। धारा 20 का मैप (संलग्न-10) से चौहद्दी भी भिन्न है। अपीलान्त

द्वारा अपील के साथ संलग्न किया गया लीज जो अपील का कागज संख्या 48 से 54 है जिसमें गलत चौहद्दी व दो गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं हैं एवं अपंजीकृत हैं, के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी शातिर चाल शुरू से ही चला है। पूर्व में भी इनके द्वारा सोनभद्र में ए0सी0पी0टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश रावर्टसगंज स्थापित है जिसमें इनके द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। मा० न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ0ए0 न०-636/2022 में आदेश दिनांक 22.08.2023 (संलग्नक 11) में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ने ए0सी0पी0टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई अनियमितताओं पर MOEF&CC को निर्देशित किया गया है कि पर्यावरण की क्षति का आंकलन करते हुए विधिक कार्यवाही करते हुए अवगत करायें। इसी क्रम में MOEF&CC द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ को पत्र लिख कर अवगत कराया गया कि ए0सी0पी0टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से पर्यावरण क्षति के रूप में पीनल NPV जो कि वन भूमि के NPV का पाँच गुना होना चाहिए को वसूल करें। अपील के कागज संख्या 56 में अंकित प्रस्तर 5 के कथन अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा स्वयं माप न देना और यह कहा जाना कि वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है डिमार्केशन आदि कराने से माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी से स्पष्ट है जबकि अतिरिक्त पट्टा के सम्बन्ध में किसी भी अदालत का कोई आदेश नहीं है, यहाँ तक की उक्त के अतिरिक्त इनके द्वारा उप जिलाधिकारी, चुनार के यहाँ भी इसी तरह की दलील प्रस्तुत की गई है।

5. "यदि डिविजन वन अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के किसी वन अधिकारी की राय है कि धारा 20 अथवा 29 के अधीन कोई क्षेत्र वन भूमि के लिए आरक्षित अथवा संरक्षित है जिस पर कोई व्यक्ति काबिज है और उसे बेदखल किया जाना चाहिए तो वन अधिकारी संपृक्त व्यक्ति को नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि या उससे पूर्व यह कारण दर्शित करने के नोटिस जारी करेगा कि बेदखली का कोई भी आदेश क्यों न जारी किया जाना चाहिए"

यहाँ यह स्पष्ट करना समीचीन है कि अपीलान्त द्वारा 3.79 हे० के अलावा 4.00 हे० आरक्षित वन भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त अवैध कब्जा आरक्षित वन भूमि पर कर्मचारी आवास व स्टोर आदि निर्माण कर लिया गया है जो अपील के साथ संलग्न कागजात पेज सं० 159 एच 2 केस व अपील के साथ संलग्न वाद सं० 147/2017 के नजरी नक्शा व अमीन पेज नं० 64 व द्वारा प्रेषित नक्शा पेज सं० 70 तथा संलग्न किराया लीज जो पेज सं० 48 से 54 के अवलोकन से स्पष्ट है। अस्तु अपील पोषणीय नहीं है।

याचिका के प्रस्तर डी में अंकित तथ्य विधि विरुद्ध व साक्ष्यविहीन है यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अपीलान्त द्वारा अपील के साथ संलग्न किया गया लीज अनुबंध पत्र व उनके द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी०डी०) मीरजापुर वाद सं० 147 सन् 2017 का नजरी नक्शा जो याचिका का पेज सं० 64 है व उसी मुकदमें में प्रेषित अमीन आख्या का नजरी नक्शा जो अपील का पेज सं० 70 है, के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपील के समय उसके द्वारा नक्शे में वर्णित यथास्थान निर्माण आदेश दिनांक 02.11.2017 (जो पेज सं० 66) के बाद किया गया है जो अमीन के नक्शे में वर्णित यथास्थान निर्मित वस्तुओं के अवलोकन से स्पष्ट है। अस्तु याचिका पोषणीय नहीं है।

लीजकर्ता श्रीमती सरस्वती देवी स्वयं स्थगन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या 19144/2004 दाखिल किया गया था जिस पर मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिया गया और याचिका दिनांक 03.03.2014 को निरस्त कर दिया। उक्त परिप्रेक्ष्य में जनपद न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 निष्प्रभावी है एवं अधिकार क्षेत्र के परे है। प्रश्नगत आराजी आरक्षित वन भूमि है जो एन०जी०टी० एक्ट की धारा 29 (2) से संरक्षित है। सिविल न्यायालय को आरक्षित भूमि पर यथास्थिति का आदेश देने का अधिकार क्षेत्राधिकार के परे है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भू-खण्ड के सम्बन्ध में अनेक कपोल-कल्पित/कूट-रचित तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए प्रकरण को न सिर्फ विभिन्न न्यायालयों में उलझाये रखने का कृत्य किया गया अपितु वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके वन एवं पर्यावरण को घनघोर क्षति पहुँचायी जा रही है तथा वन भूमि में रह रहे हैं संरक्षित प्रजाति के वन्य जीव आगरा मॉनिटर लिजार्ड, कोबरा (अनु०-1) का प्राणि के प्राकृतिक आवास व उनके अण्डे बच्चे को नष्ट किया जा रहा है।

अपीलार्थी वन कर्मियों को उनके सम्यक कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर रूप से बाधा पहुँचाया जा रहा है। कार्यवाही किये जाने पर उसके द्वारा फर्जी रूप से मा० न्यायालय के अवमानना की धौंस दी जाती है जिसका स्पष्ट उदाहरण उसके द्वारा 4 हे० वन भूमि पर अतिरिक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही पर अपीलार्थी द्वारा किये गये 04 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण/साक्ष्य प्रस्तुत करने के बजाय अवमानना नोटिस एवं जनपद न्यायालय, मीरजापुर के यहाँ अवमानना वाद दाखिल किया गया है जबकि यथास्थिति दोनों पक्षों को बनाये रखना था बावजूद इसके न सिर्फ मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2020 की अवमानना की गयी अपितु उनके द्वारा उल्टे वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर अपने धन, बल व रसूख के बल पर उक्त अवमानना वाद दाखिल किया गया है। ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा फर्जी लीज के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त कर उसके आड़ में अतिरिक्त 4.00 हे० वन भूमि पर अतिक्रमण कर पर्यावरण एवं वन्यजीवों को पहुँचायी गयी क्षति के लिए सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी है उसका भी नियमानुसार निर्धारण कर अपीलार्थी से क्षतिपूर्ति करना न्यायसंगत है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा कहा गया कि जनपद मीरजापुर के ग्राम बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील चुनार, मीरजापुर की ग्राम बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील चुनार, मीरजापुर में भारतीय वन अधिनियम 1927 जोकि अपने आप में एक विशिष्ट अधिनियम है जिसमें वन बन्दोबस्त की प्रक्रिया के पश्चात् वन भूमि को आरक्षित घोषित किए जाने की प्रक्रिया निहित है। ग्राम बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील चुनार, मीरजापुर में वन बन्दोबस्त अधिकारी जोकि उप जिलाधिकारी से अनिम्न स्तर के होते हैं, के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा-6, 9 व अन्य की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ग्राम बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील चुनार, मीरजापुर को विज्ञप्ति संख्या-5924/14-2-20 (47)-82 अधिसूचना संख्या-23 (2) -95-14-ख-67, दिनांक 22 फरवरी 1968 उक्त भूमि को आरक्षित वन भूमि घोषित किया गया है। (स्पष्ट है कि आराजी गाटा संख्या-827 जिसका हाल गाटा संख्या-291 है, का सम्पूर्ण रकबा-305.11 बिस्वा भूमि धारा-20 की विज्ञप्ति से आच्छादित है तथा नेचर ऑफ द लैंड पहाड़ है)। उक्त भूमि वन संरक्षण अधिनियम-1980 की धारा-2 में निहित प्राविधानों एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 टी०एन० गोंडावर्मन बनाम् वनवासी सेवा आश्रम बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी० के वाद में पारित आदेश से सुरक्षित है। अभिलेखों के परिशीलन में यह भी पाया गया कि चकबन्दी प्रक्रिया में विज्ञापित गाटा संख्या-827 मि० से बना हाल नम्बर 291 को सरस्वती देवी द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान मा० न्यायालय, चकबन्दी अधिकारी तृतीय, अहरौरा, तहसील-चुनार, मीरजापुर के यहाँ वाद संख्या-58/309 सन् 1963 सरस्वती बनाम् सोन वन प्रखण्ड योजित कर बिना वन विभाग को सुनवाई का अवसर दिये चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 10.02.1963 द्वारा फर्जी तरीके से सरस्वती देवी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर लिया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में चौधरी यशवन्त सिंह द्वारा ए०सी०पी० टोल प्लाजा जो कि जनपद मीरजापुर के ग्राम बेलखरा परगना अहरौरा, तहसील चुनार, मीरजापुर के आराजी संख्या-291 वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (AT Km. 23.700) पर अवस्थित है, के लगभग 15 बीघा (भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि के रूप में विज्ञापित) पर अवैध रूप से अतिक्रमण तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विनिर्दिष्ट प्राविधानों के तहत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु मा० न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के समक्ष Original Application No. 112/2024 (I.A. No. 45/2024) योजित की गयी जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2024 को आदेश पारित किया जिसके बिन्दु संख्या-5 पर निम्न तथ्य उद्धृत हैं:-

Respondent No. 6 is direction to the file the report reflecting the factual position in respect of location and operation of toll plaza in question especially in reference to the allegation of its estting up in the forest land without permission.

मा० न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.02.2024 के अनुपालन में मौके की स्थलीय/अभिलेखीय जाँच, जांच समिति के स्तर से किया गया जिसमें पाया गया कि ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा साबिक गाटा संख्या-827 मि० से बना हाल गाटा संख्या-291 में कुल क्षेत्रफल 7.79 हे० भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है।

जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज में भी ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-९, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्थापित है, जहाँ ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-९, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है जिसमें मा० न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली ने ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-९, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई अनियमितताओं पर MOEF&CC को निर्देश दिए गए हैं कि पर्यावरण की क्षति का आंकलन करते हुए क्षति से अवगत करायें। इसी क्रम में MOEF&CC के स्तर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ को पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-९, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से पर्यावरण क्षति के रूप में पीनल NPV जोकि वन भूमि के NPV का पाँच गुना होना चाहिए वसूल करें। इसी प्रकार मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-1268/1979 स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम डी०डी०सी० में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2013 में निम्न मत व्यक्त किए गए हैं:-

Declaration under section 20 of the forest act cannot be questioned either by the Civil Court or by the Revenue court or by consolidation court. In spite of that D.D.C. held that land in dispute was wrongly declared as reserved forest through notification under section 20 of the Act D.D.C. clearly exceeded the jurisdiction. The declaration of reserved forest under section 20 of the act is binding upon consolidation court Civil Court decree in this regard reference may be made to AIR 1996 SC 2432 State of U.P. Vs D.D.C.

In Contesting respondents were aggrieved by preliminary notification under section 4 of forest Act they have availed the remedies-provided under the Act (Section 6, 9, 17, 11 & 16). Nowever after final notification under section 20 the Chapter is closed.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा याचिका संख्या 202/1995 टी०एन० गोडाबर्मन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिनांक 12.12.1996 को निर्णय पारित करते हुए मत व्यक्त किया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान ऐसी भूमि पर भी लागू होते हैं जो अभिलेखों में वन भूमि हो या मौके पर वन भूमि हो चाहे उस पर स्वामित्व किसी का हो।

It has emerged at the hearing, that there is a misconception in certain quarter about the true scope of the forest conservaion Act 1980 (for short the Act) and the meaning of the word "forest" used therein. There is also a resulting misconception about the need of prior approval of the Central Government, as required by sec 2 of the Act, in respect of certain activities in the forest area which are more often of commercial nature it is necessary to clarify that position. The forest conservation Act, 1980 was enacted with a view to check further deforestation which ultimately results in ecological imbalance and therefore. The Provisions made therein for the conservation of forest and for matters connected therewith, must apply to all forests irrespective of the nature of ownership or classification thereof. The word forest must be understood according to its dictionay meaning. This description covers all statutionis recognised forest, whether designated as reserved protected or otherwise for the purpose of section 2(i) of the forest conservation Act. The term "forest land" occurring in section 2, will not only include forest as understood in the dictionary sense. but also any area recorded as forest

in the government record irrespective of the ownership. This is how it has to be understood for the purpose of Section 2 of the Act. The provisions enacted in the forest conservation Act 1980 for the conservation of forests and the matters connected therewith must apply clearly to all forest so understood irrespective of the ownership or classification there of.

ए०सी०पी० टोलवेज, प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारम्भ से ही सहयोग न किए जाने के कारण संयुक्त जाँच समिति के द्वारा जी०पी०एस० मशीन से स्थल का सर्वे/सीमांकन किया गया। जी०पी०एस० में रिकॉर्ड हुई रीडिंग/पॉलीगान को गूगल अर्थ पर प्रोजेक्ट किये जाने पर ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा विवादित गाटा संख्या-291/2 रकबा 3.79 हे० के सापेक्ष कुल 7.79 हे० वन भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया जिसकी रिपोर्ट मा० न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में भी प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा दाखिल की गई। जाँच में 3.79 हे० के अतिरिक्त 4.00 हे० क्षेत्रफल में अवैध कब्जा पाये जाने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के समक्ष भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-61 (बी) में वाद दाखिल किया गया जिसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से ए०सी०पी० टोलवेज, प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को नोटिस निर्गत की गयी जिस पर उनका उत्तर दाखिल हुआ। सम्यक् विचारोंपरान्त प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उक्त वन भूमि से बेदखली के आदेश दिनांक 16.07.2024 को पारित किया गया। ए०सी०पी० टोलवेज, प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के विरुद्ध मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के मा० न्यायालय में अपील योजित की गई जिसका मुख्य आधार प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस का अनुपालन न होने का प्रक्रियात्मक कारणों पर किया गया परन्तु किसी भी समय 3.79 हे० से अधिक भूमि पर कब्जा न होने की बात नहीं कही गई। प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के द्वारा ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को सुनवाई/अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिया गया जिसके उपरान्त भी उनके द्वारा मौके पर अतिरिक्त क्षेत्र में कब्जा होने पर कोई टिप्पणी न करते हुए प्रारम्भ से ही मात्र प्रक्रियात्मक उल्लेख करते हुए विलम्ब किए जाने की रणनीति अपनाया जाना स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। ए०सी०पी० टोलवेज, प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा विवादित 3.79 हे० के अतिरिक्त 4.00 हे० आरक्षित वन भूमि पर कब्जा होना गूगल मैप पर पूर्ण रूप से स्पष्ट है, के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है और न ही कोई विधिक अभिलेख/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। मात्र प्रक्रियात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुए प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 को निरस्त किए जाने की अपील की गई। प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा वाद संख्या-4/2024 क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज बनाम् ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 न्यायोचित दृष्टिगोचर होता है। प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के द्वारा जो प्रक्रिया अपनायी गयी, वह विधि सम्मत है।

आदेश

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों/अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में अपीलार्थी ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अपीलीय आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2024 ग्राह्य नहीं है जिसे निरस्त किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 न्यायोचित है। ए०सी०पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से तत्काल उक्त वन भूमि खाली कराया जाय।

मुख्य वन संरक्षक/अपीलीय अधिकारी
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर
16/25

संख्या ५६६३अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज, मीरजापुर वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपीलार्थी ए0सी0पी0टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बी-9, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उनके अपीलीय आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक/अपीलीय अधिकारी
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
16/25